नवम्बर-दिसम्बर 2024 अखिल भारतीय किसान सभा ₹ 20

किसान संघर्ष

अलविदा कॉमरेड सीताराम येचुरी!

केंद्र सरकार की किसानों पर जंगली जानवरों के हमलों पर निष्क्रियता के खिलाफ एआईकेएस-एआईएडब्ल्यूयू का संसद की ओर संयुक्त मार्च

3 दिसंबर को दिल्ली जाते समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों का यूपी पुलिस से टकराव

किसान संघर्ष
अखिल भारतीय किसान सभा की पत्रिका
नवम्बर-दिसम्बर 2024

अखिल भारतीय किसान सभा
३६, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (कैनिंग लेन)
नई दिल्ली - 110001
011-23782890
www.kisansabha.org
kisansabha@gmail.com

संपादक
डॉ अशोक ढवले

कार्यकारी संपादक
बादल सरोज

संपादक मंडल
डॉ वीजू कृष्णन
पी कृष्णाप्रसाद
इन्द्रजीत सिंह
अवधेश कुमार
मनोज कुमार
पुष्पेन्द्र त्यागी

डिज़ाइनर
नवीना लांम्बा

संपादकीय

‘अध्ययन और संघर्ष’ के मूर्त रूप थे कॉमरेड सीताराम येचुरी
डॉ अशोक ढवले

कॉमरेड सीताराम येचुरी : समाजवाद और जनता की मुक्ति के प्रति अमिट प्रतिबद्धता के पांच दशक
डॉ वीजू कृष्णन

सीताराम येचुरी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में दिया गया भाषण: 'हमें हिंदू पाकिस्तान नहीं चाहिए'
शुभोजीत डे द्वारा सुनकर लिखा गया

बुद्धदेव भट्टाचार्य : एक असाधारण कम्युनिस्ट
प्रभात पटनायक

बाबरी से मुरादाबाद वाया रतलाम बाड़ाबंदी का अभियान
बादल सरोज

मजदूरों-किसानों का संयुक्त विरोध प्रदर्शनः सरकार को जनता की कड़ी चेतावनी
पी कृष्णाप्रसाद

दमन से लड़ता सरकार को चुनौती देता -नोएडा किसान आंदोलन
मनोज कुमार

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग का आदेश वापस लो
पी. षणमुगम

पंजाब राज्य कृषि नीति का मसौदा 2024: कॉर्पोरेट की भूमिका की अनदेखी, योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान का अभाव
डॉ बलविंदर सिंह तिवाना

दक्षिण भारतीय राज्यों के एसकेएम अधिवेशन में संघर्षों को तेज करने का आह्वान
टीगला सागर

किसान सभा व खेत मज़दूर यूनियन का संसद पर धरना

पूर्वी राज्यों के एसकेएम नेतृत्व की बैठक: 2025 में एकजुट मुद्दे आधारित संघर्ष को तेज करने के लिए मजदूर-किसान एकताको मज़बूत करने का आह्वान
अमल हलदार

संपादकीय

महान बोल्शेविक क्रांति की 107वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को थी। महान अक्टूबर क्रांति द्वारा प्रज्वलित क्रांतिकारी साम्राज्यवाद-विरोधी भावना ने 1936 में किसान सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोल्शेविक क्रांति के मुख्य शिल्पकार कॉमरेड लेनिन ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा "भारत की सदियों पुरानी लूट" के खिलाफ भारतीय किसानों और मजदूर वर्ग की "जागृति" के प्रबल समर्थक थे। किसानों की अंतर्निहित क्रांतिकारी विशेषताओं पर कॉमरेड लेनिन के व्यावहारिक सिद्धांत ने देशभक्तिपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ साम्राज्यवाद द्वारा संचालित नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ चल रहे लंबे संघर्ष में किसान सभा की समझ को मजबूत किया।

अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा पूरी तरह से समर्थित यहूदी कट्टरपंथी इज़राइल द्वारा फिलिस्तीन और लेबनान पर छेड़ा गया नरसंहार युद्ध इस बात को दोहरा रहा है कि "साम्राज्यवाद की विजय सभ्यता के विनाश की ओर ले जाती है"। फिलिस्तीनी लोग साम्राज्यवाद के शोषण का सबसे वीरतापूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए विश्वव्यापी एकजुटता और सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है, जिसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं।

ट्रम्प ने बिडेन शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को चतुराई से दिशा देकर अमेरिकी चुनावों में राष्ट्रपति पद की दौड़ जीत ली। इससे एक और दक्षिणपंथी बदलाव व मेहनतकश लोगों पर हमले के साथ ही एक नस्लवादी अप्रवासी विरोधी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा निष्पादित नाटो का पूर्व की ओर विस्तार और इसके परिणामस्वरूप यूक्रेन में युद्ध, जर्मनी के उद्योग और मजदूर वर्ग पर चोट कर रहा है। कई यूरोपीय देशों में भी बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है, जबकि एक छोटा सा वर्ग उसकी कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहा है। नवउदारवाद की विफलता के कारण गंभीर संकट पैदा हो रहा है, जो सामान्य संकट को और भी तीव्र बनाता रहा है। यूरोप में फासीवादी राजनीतिक ताकतों के उदय के लिए भौतिक आधार तैयार कर रहा है। ब्रिक्स देशों के कज़ान शिखर सम्मेलन में डॉलर के वर्चस्व, विश्व बैंक और आईएमएफ के अलोकतांत्रिक शासन आदि के सवालों पर साम्राज्यवादी खेमे के खिलाफ़ आवाज़ उठाई गई, जो दक्षिणी गौलार्ध में किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, वैश्विक वित्तपूंजी के वर्चस्व को खत्म किए बिना, किसानों का अस्तित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आरएसएस-भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वैश्विक वित्तपूंजी और उनके घरेलू पिट्ठुओं के दबाव में कृषि कानूनों का मसौदा तैयार किया था। हिंदुत्ववादी राजसत्ता जो कृषि बिलों के ज़रिए कृषि को पूरी तरह से कॉर्पोरेटिकृत और केंद्रीकृत करने में विफल रही, वह अब इसे पिछले दरवाज़े से प्रवेश कराने की कोशिश कर रही है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा-आरएसएस द्वारा बढ़ाया जा रहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी कॉर्पोरेट हितों के लिए रास्ता खोलने के उद्देश्य से ही है। किसान आंदोलन को इस बारे में बेहद सतर्क रहने और उचित जवाबी हमले के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और खेतमजदूर संगठनों के साथ मिल कर 26 नवंबर 2024 देश भर में जिला स्तर पर "चेतावनी दिवस" आयोजित किया है। यह दिन 2020 में एक साल से ज्यादा लम्बे किसान आन्दोलन के 'दिल्ली चलो' अह्वाहन और इसी दिन हुई मजदूरों की आम हड़ताल की चौथी वर्षगांठ को चिह्नित करता है। मेहनतकश लोगों का यह आंदोलन मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी होगी, जिसने एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने और अन्य मांगों के बारे में एसकेएम को दिए गए वादों से वादाखिलाफी कि है। किसान विरोधी कॉरपोरेट हिंदुत्व परियोजना के शिकंजे को खत्म करने के लिए मेहनतकश लोगों की वर्गीय एकता बेहद जरूरी है।

दिल्ली से लगे उत्तरप्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किसान, नाजायज भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जुझारू संघर्ष लड़ रहे है। आन्दोलन को दबाने के राज्य सरकार के दमनकारी कदमों के बावजूद किसान अपनी जायज मांगों के लिए संघर्षरत है और जेल व प्रताड़ना के बावजूद निडर हो सघर्ष के पथ पर अग्रसर है।

हरियाणा व महाराष्ट्र के विधान चुनाव में राजसत्ता के दुरुपयोग व विभाजनकारी राजनीति और बेतहाशा धन-बल का इस्तेमाल कर के भाजपा इन राज्यों में सत्ता अपने पास रखने में कामयाब रही। इस के बाद अपने नफरती मंसूबो को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में मंदिर-मस्जिद के नाम पर सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है। मुस्लिम पहचान के धार्मिक स्थलों को मंदिर बता उन पर दावा ठोकने वाले हिदुत्ववादी संगठनों को आरएसएस-भाजप का पूरा समर्थन हासिल है।

इसी बीच वामपंथ के दो बड़े नेता और किसानों के प्रबल समर्थक-कॉमरेड सीताराम येचुरी व बुद्धदेव भट्टाचार्य- का हाल ही में निधन हो गया। कॉमरेड येचुरी ने कृषि क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले वैचारिक कतारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में किसान हितैषी कृषि सुधारों की शुरुआत करने में कॉमरेड भट्टाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मजदूर वर्ग के दिग्गज नेता कॉमरेड एम.एम. लॉरेंस, के एम तिवारी और कुथुप्पारम्बा गोलीकांड के जीवित शहीद कॉमरेड पुष्पन का भी इस बीच निधन हो गया। इन नेताओं की यादें हमारे भविष्य के संघर्षों में उत्प्रेरक का काम करेंगी।

'अध्ययन और संघर्ष' के मूर्त रूप थे कॉमरेड सीतारामम येचुरी

डॉ अशोक ढवले
(अखिल भारतीय अध्यक्ष, किसान सभा)

एक महीने पहले हममें से कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा दुखद दिन अचानक आ जाएगा। 12 सितंबर 2024 को हुए सीताराम येचुरी के निधन ने न सिर्फ सीपीआइ (एम) बल्कि भारत की तमाम वामपंथी, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष शक्तियों में भी एक गहरा शून्य पैदा कर दिया है। उनके निधन के बाद से मुख्यधारा के मीडिया तथा सोशल मीडिया दोनों में ही शोक संदेशों, श्रद्धांजलियों, श्रद्धांजलि लेखों, संस्मृतियों तथा संपादकीयों-जिनमें से ज्यादातर उनके मित्रों तथा कामरेडों के हैं, लेकिन कुछ उनके विरोधियों के भी हैं-की जो बाढ़ आयी है, उससे यह स्पष्ट है।

लंबा और गहरा जुड़ाव

मुझे एसएफआइ के दिनों से ही सीताराम को जानने का सौभाग्य प्राप्त रहा। कोई 45 वर्ष पहले 1979 में पटना में हुआ एसएफआइ का तीसरे अखिल भारतीय सम्मेलन, मेरा पहला सम्मेलन था। उस सम्मेलन में प्रकाश करात तथा सुभाष चक्रवर्ती को क्रमशः अध्यक्ष तथा महासचिव पदों से मुक्त कर दिया गया था और उनका स्थान लिया था एमए बेबी तथा नेपाल देब भट्टाचार्य ने। उनके साथ थे उपाध्यक्ष के रूप में सैफुद्दीन चौधरी, सहसचिव के रूप में सीताराम येचुरी तथा कोषाध्यक्ष के रूप में सुहैल हाशमी। उस वक्त मुझे यह थोड़ी सी जानकारी थी कि एसएफआइ का अगला चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन 1981 में मुंबई में आयोजित किए जाने का काम हमारे कंधों पर आनेवाला है!

उन दिनों विठ्ठल भाई पटेल हाउस के ग्राउंड फ्लोर का रणनीतिक महत्त्व वाला कोने का 22 नंबर फ्लैट दिल्ली में एसएफआइ का केंद्रीय कार्यालय

होता था । उपरोक्त नए नेताओं के साथ ही दो अन्य बहुत ही शानदार एसएफआइ नेताओं-सफदर हाशमी तथा अशोकलता जैन, जो दोनों ही अब हमारे बीच नहीं हैं और जो बेहद दुखद है- के साथ हुयी मीटिंग तथा चर्चा मुझे बड़ी शिद्दत से याद आती है । 1984 में दमदम में हुए एसएफआइ के पांचवें अखिल भारतीय सम्मेलन में अगले तीन वर्षों के लिए सीताराम अध्यक्ष चुने गए थे और मैं उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष चुना गया था ।

पार्टी तथा सीटू के वयोवृद्ध नेता बीटी रणदिवे कई वर्षों तक महाराष्ट्र के पार्टी इंचार्ज रहे थे । 1990 में उनके निधन के दो वर्ष बाद पोलिट ब्यूरो ने वह जिम्मेदारी अपने तत्कालीन सबसे युवा सदस्य सीताराम येचुरी को सौंपी थी । सीताराम ने कोई दो दशक तक-वर्ष 2015 में सीपीआइ (एम) का महासचिव चुने जाने तक-बहुत ही सक्षम ढंग से यह जिम्मेदारी निभाई थी । राज्य कमेटी मीटिंगों में भाग लेने के साथ ही साथ इस विशाल राज्य का शायद ही कोई ऐसा जिला रहा हो, जहां का किसी संघर्ष के लिए,सार्वजनिक सभा, कन्वेंशन या फिर स्टडी कैंप के लिए उन्होंने दौरा न किया हो ।

प्रखर चिंतक पक्के लड़ाका

सीताराम के साथ इसी लंबे तथा करीबी जुड़ाव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि अपने पूरे जीवन भर वे एसएफआइ के प्रसिद्ध नारे “अध्ययन और संघर्ष” के शानदार मूर्त रूप थे । कार्ल मार्क्स ने अपनी युवावस्था में यह प्रसिद्ध वाक्य लिखा था कि “दार्शनिकों ने भिन्न-भिन्न तरीके से इस दुनिया की व्याख्या की है; बहरहाल, सवाल इसे बदलने का है ।” एक प्रखर चिंतक तथा पक्के लड़ाका के रूप में सीताराम ने अपना पूरे जीवन और अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल न सिर्फ दुनिया और हमारे देश की व्याख्या करने के लिए किया बल्कि इन दोनों को बदलने के लिए भी किया । और उन्होंने ऐसा मार्क्सवाद-लेनिनवाद की समझ को हमेशा सही ढंग से लागू करते हुए किया, जिसमें पारंगत होने की उन्होंने कोशिश की थी और जिसके लिए वे तहेदिल से प्रतिबद्ध थे ।

सीपीआइ (एम) और वामपंथ के लिए सीताराम के विचारधारात्मक योगदान का बेहतरीन संक्षिप्त ब्यौरा इन्हीं पन्नों पर प्रकाशित हुए 50 वर्षों के उनके सबसे करीबी कामरेड तथा मित्र प्रकाश करात के लेख से मिल जाता है ।

जेएनयू, एसएफआइ तथा सीपीआइ (एम) में सीताराम की राजनीतिक यात्रा के प्रमुख मील के पत्थरों से सब वाकिफ हैं । यहां उनको दोहराने की जरूरत नहीं है । हम यहां उनके कार्य के कुछ मुख्य पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे ।

साम्राज्यवाद के कट्टर दुश्मन

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्र ाज्यवद्द के खिलाफ लड़ाई सीताराम के लिए आस्था का विषय थी । उनकी पीढ़ी वियतनाम के खिलाफ अमरीका के घातक युद्ध और हो ची मिन्ह तथा कम्युनिस्टों की अगुवाई में वियतनामी जनता के शौर्यपूर्ण और फिर विजयी प्रतिरोध के साथ-साथ बड़ी हुयी थी । वे फिदेल कास्त्रो तथा चे ग्वेरा की अगुवाई में कम्युनिस्टों द्वारा निर्भीक ढ़ंग से किए गए समाजवादी क्यूबा के निर्माण से प्रेरित थे । चे ग्वेरा ने बाद मे अमरीका के भाड़े के टटुओं के हाथों शहादत पायी थी । हम बंगलादेश की मुक्ति के लिए भारत-पाकिस्तान युद्ध के भी गवाह रहे, जिसके दौरान अमरीका ने भारत को डराने के लिए अपना सातवां बेड़ा भेजने की धमकी दी थी ।

और इन्हीं घटनाओं के साथ-साथ इंडोनेशिया तथा चिली में हजारों-हजार कम्युनिस्टों तथा डेमोक्रेटो के भयावह फासीवादी नरसंहार हुए थे और दक्षिण अफ्रीका में घृणित रंगभेदी निजाम, जिसने नेल्सन मंडेला और अनेकानेक दूसरे नायकों को दशकों तक जेल में बंद रखा था, भी चल रहा था । उन दिनों में कोई भी संवेदनशील युवा इन तमाम घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता था ।

बाद में जाहिर है अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, युगोस्लाविया तथा अफ्रीका के अनेकानेक देशों में अमरीकी साम्राज्यवा द्वारा छेड़े गए विनाशकारी युद्धों की एक पूरी श्रंखला सामने आयी थी, जिनका युरोपीय साम्राज्यवाद समर्थन कर रहा था । इन युद्धों ने सामूहिक रूप से लाखों लोगों का नरसंहार किया । आज भी साम्राज्यवादी-यहूदीवादी धुरी फिलिस्तीनी जनता का साल भर से नरसंहार करना जारी रखे हुए है और उसने हजारों-हजार बच्चों, महिलाओं तथा पुरूषों की हत्या की है ।

यह सब साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी तथा नव-उदारवाद और आइएमएफ, विश्व बैंक, डब्लूटीओ तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दुनिया तथा उसके पर्यावरण के अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक शोषण के अलावा है । सीताराम अपनी कथनी और करनी दोंनों ही के जरिए इन बुराइयों के खिलाफ लड़े और इस लड़ाई में उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी विशेषज्ञता का बेहतरीन इस्तेमाल किया ।

आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा

1990 के दशक की शुरूआत में एक पुरानी बुराई ने ताकत ग्रहण करनी शुरू कर दी थी । और यह थी हिंदुत्व के आवरण में आरएसएस-विश्व हिंदू परिषद तथा भाजपा की अगुवाई में सांप्रदायिकता की बुंराई । उसी से अभिन्न रूप से जुड़ी कोई 2000 वर्ष पुरानी वह प्रक्रियावादी पुस्तक थी, जिसे “मनुस्मृति” के नाम से जाना जाता है और जिसका उन्हें विचारधारात्मक रूप से बहुत बड़ा सहारा था । आरएसएस हिटलर तथा मुसोलिनी वाली जर्मनी तथा इटली की फासीवादी तानाशाही से प्रेरणा लेता है । वर्गीय अर्थो में यह साम्राज्यवाद तथा नव-उदारवाद, दरबारी पूंजीवाद तथा सामंतवाद का जरखरीद गुलाम है । और जाहिर है, यह कम्युनिस्टों को अपना कट्टु शत्र मानता है, जिसके जायज ऐतिहासिक कारण हैं । जाहिर है कुछ ऐसी ही भावनाएं कम्युनिस्टों की भी उनके प्रति रही हैं ।

-ली जर्मनी तथा इटली की फासीवादी तानाशाही से प्रेरणा लेता है। वर्गीय अर्थों में यह साम्राज्यवाद तथा नव-उदारवाद, दरबारी पूंजीवाद तथा सामंतवाद का जरखरीद गुलाम है। और जाहिर है, यह कम्युनिस्टों को अपना कटु शत्र मानता है, जिसके जायज ऐतिहासिक कारण हैं। जाहिर है कुछ ऐसी ही भावनाएं कम्युनिस्टों की भी उनके प्रति रही हैं।

6 दिसंबर, 1992 को आरएसएस की अगुवाई में संघ परिवार द्वारा अयोध्या में षड्यंत्रकारी ढ़ंग से बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जिसे दरपर्दा केंद्र के तत्कालीन कांग्रेसी निजाम की भी शह प्राप्त थी, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। इस घटना ने लोकख्यात कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु को ऐसा झकझोर दिया था कि उन्होंने आरएसएस-भाजपा को सीधे-सीधे "बर्बर" करार दे दिया था।

उसके अगले ही वर्ष 1993 में सीताराम ने "व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र?" (यह हिंदू राष्ट्र क्या है?) शीर्षक से एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली पैफ्लेट लिखा था और जिसे "फ्रंटलाइन" के एन राम ने प्रकाशित किया था। इस पैंफ्लेट में सीताराम ने बड़ी बेरहमी से आरएसएस के दूसरे प्रमुख रहे एमएस गोलवलकर के उन सांंप्रदायिक, जातिवादी तथा फासीवादी तर्कों को बेनकाब किया था और उधेड़कर रख दिया था, जो 1939 की "वी, ऑर अवर नेशनलहुड डिफाइंड" नामक उनकी पुस्तक दिए गए थे।

अब तैयारी पूरी हो गयी चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा। सीताराम ने अपने जीवन के आखिरी 30 वर्षों में "द आडिया ऑफ इंडिया"-विविधता में एकता के सिद्धांत और संविधान-जिसके प्रमुख शिल्पकारों में एक डॉ बी. आर. अंबेडकर थे-के बुनियादी सिद्धांतों का मजबूती से तथा निरंतर बचाव किया। यह बुनियादी सिद्धांत हैं-संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद तथा सामाजिक-आर्थिक न्याय।

सीताराम तथा सीपीआइ (एम) के सामूहिक नेतृत्व ने जी जान से यह लड़ाई लड़ी। जैसा कि वे अक्सर कहा करते थे कि आर्थिक शोषण और सामाजिक दमन के खिलाफ संघर्ष अविभाज्य है और इसे एकसाथ ही लड़ा जाना चाहिए।

यूपीए का निर्माण

आरएसएस-भाजपा गठजोड़ की बढ़ती बुराई तब रेखांकित हुयी जब वर्ष 1998 से 2004 तक वह केंद्र में सत्ता में आया। हालांकि तब वह स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आया था। इसके बाद वामपंथी एकता और वामपंथी, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता कायम करने की फौरी जरूरत महसूस हुयी। जाने-माने कम्युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत, जिनकी देखरेख में सीताराम येचुरी, प्रकाश कारात तथा दूसरे अनेक लोगों के नेतृत्वकारी गुण विकसित हुए थे, के नेतृत्व में यूपीए-1 का आरंभिक सफल प्रयास शुरू हुआ।

वर्ष 2004 में जब यूपीए सत्ता में आया, तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) तैयार किया गया था। इसे तैयार करने में सीताराम ने अहम भूमिका अदा की थी। यूपीए-1 सरकार के दौरान ही वामपंथ के दबाव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा), वनाधिकार कानून (एफआरए), सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ), खाद्य सुरक्षा कानून (एफएसए) तथा शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) और किसानों की आंशिक कर्जा माफी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर आंशिक रोक जैसे अनेक जनपरस्त कदम उठाए गए थे।

लेकिन हमें एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब सिर्फ नेक इरादों तथा व्यक्तिगत प्रयासों से संभव नहीं हुआ था बल्कि इसलिए संभव हुआ था क्योंकि वर्ष 2004 से 2009 तक लोकसभा में वामपंथ के पास 61 सांसदों, जिनमे से 43 सांसद खुद सीपीआइ (एम) के थे की जबर्दस्त एकजुट ताकत थी। उस वक्त वामपंथ की पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में तीन राज्य सरकारें भी थी।

हमारी स्वतंत्र ताकत एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां हाल के अतीत में हम सामूहिक रूप से कम पड़ रहे हैं। आनेवाले वर्षों में इस कमजोरी से उबरना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

सीताराम ने वर्ष 2005 से 2017 तक राज्य सभा के अपने 12 वर्ष के कार्यकाल का इस्तेमाल मेहनतकश अवाम के तमाम तबकों की वास्तविक तथा ज्वलंत समस्याओं पर प्रभावी ढ़ंग से फोकस करने के लिए किया। अपने इस कार्यकाल के पहले चार वर्ष यूपीए-1 गठबंधन के हिस्से के तौर पर बिताए गए थे और अगले पांच वर्ष यूपीए-2 के साथ प्रतिकूल संबंधों में बीते और आखिर के तीन वर्ष भाजपा-एनडीए निजाम के साथ पूरे राजनीतिक विरोध में बीते। राज्य सभा में व्यापक विषयों पर सीपीआइ (एम) तथा वामपंथ की लाइन तय करने के लिए उन्होंने जो तर्कपूर्ण शानदार भाषण दिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया और यहां तक कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी उनकी सराहना की।

संसद से इतर क्षेत्र में भी सीताराम तथा पार्टी के हस्तक्षेप कोई कम महत्वपूर्ण नहीं रहे। वर्ष 2015 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ किसानों के संयुक्त संघर्ष में और वर्ष 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों-मजदूरों के एकजुट संघर्ष में उनकी भूमिका मुझे खासतौर से याद है।

पहलेवाले संघर्ष में यह वही थे, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ राज्य सभा में ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने में अगुवा भूमिका निभाई थी। संसद के बाहर भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए) के नेतृत्व में किसानों के एकजुट संघर्ष और संसद में राज्य सभा के भीतर चले संघर्ष ने भाजपा निजाम को दीवार पर लिखी इबारत से वाकिफ करा दिया था जिसके बाद मोदी ने भूमि अध्यादेश को अपने आप ही खत्म हो जाने दिया। इसके बाद तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त कि-

-सान मोर्चा (एसकेएम) के वर्ष भर लंबे चले शानदार संघर्ष में सीताराम ने भारत बंदों के समर्थन में और एसकेएम के संघर्ष के अन्य आह्वानों के समर्थन में विपक्ष के व्यापक तबकों को लामबंद किया । शाहीन बाग के सीएएविरोधी संघर्ष, महिला पहलवानों के संघर्ष आदि विभिन्न संघर्षों को उनका समर्थन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा ।

इंडिया ब्लॉक का गठन

अपने जीवन के अंतिम वर्ष 2023-24 में वे उन लोगों में शामिल रहे जिन्होंने भाजपा-एनडीए गठजोड़ के खिलाफ वामपंथी तथा धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के इंडिया ब्लॉक का गठन करने में निर्णायक भूमिका अदा की थी । अगस्त 2023 में मुंबई में होनेवाली इंडिया ब्लॉक की राष्ट्रीय मीटिंग में सीताराम के साथ भाग लेने के लिए पोलिट ब्यूरो ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी । वहां खुद मैंने उनके मूल्यवान हस्तक्षेपों को देखा था और देखा था कि इस ब्लॉक के तमाम भागीदार उनकी कितनी कद्र करते थे । इंडिया ब्लॉक वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में आश्चर्यजनक ढ़ंग से भाजपा-एनडीए को सत्ता से बाहर करने के बेहद करीब पंहुच गया था ।

बहुत से लोगें ने सीताराम के व्यक्तिगत गुणों-उनके पांडित्य, सबसे घुलमिल जाने की उनकी आदत, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनकी संवेदनशीलता, उनकी मित्रता, उनकी हंसी-ठिठोली आदि के बारे में बताया है । जहां यह सब सच है, वहीं यह भी सच है कि उन्नहोंने अपने मूल सिद्धांतों और अपनी ईमानदारी के साथ कभी समझौता नहीं किया । स्वाभाविक रूप से वे मौजूदा चुनौतियों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे, लेकिन सीताराम ने सामंतवाद तथा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और उनकी जगह समाजवाद की स्थापना करने के एक कम्युनिस्ट पार्टी के सच्चे लक्ष्य को कभी नहीं भुलाया ।

उन्होंने शासक वर्ग के इस नारे कि पूंजीवाद का “कोई विकल्प नहीं है” (देयर इज नो आल्टरनेटिव अर्थात टीना) को “विकल्प समाजवाद है” (सोशलिज्म इज द आल्टरनेटिव अर्थात सीता) के नारे से चुनौती दी थी । वे अपनी लाजवाब मुस्कान के साथ कहा करते थे कि सीता उनके नाम का ही छोटा रूप है! यह नारा वर्ल्ड सोशल फोरम (डब्लूएसएफ) के “दूसरी दुनिया संभव है” (अनदेर वर्ल्ड इज पॉसीबल) के नारे के सदृश्य था ।

सीताराम अक्सर कहा करते थे कि एक अच्छा कम्युनिस्ट होने के लिए आपको अच्छा इंसान होना पड़ेगा । वह दोनों ही थे। और यही है उनकी वह विरासत जिसको दृढ़ निश्चय के साथ आगे ले जाने का हम सबको प्रयास करना है । ■

कॉमरेड सीताराम येचुरी : समाजवाद और जनता की मुक्ति के प्रति अमिट प्रतिबद्धता के पांच दशक

डॉ वीजू कृष्णन
(अखिल भारतीय महासचिव, किसान सभा)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी भारत में वामपंथ के सबसे चर्चित चेहरों में से एक रहे हैं। पिछले दशक में वे कॉरपोरेट-सांप्रदायिक और तानाशाही शासन के सबसे मुखर विरोधियों में से एक रहे हैं। 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक सक्रियता शुरू करने के बाद, उनके जीवन के अगले पाँच दशक समाजवाद और जनता की मुक्ति के प्रति अमिट प्रतिबद्धता के रहे।

1970 के दशक के उथल-पुथल भरे वर्षों में ही उनके राजनीतिक विचार प्रखर हुए। वियतनाम में अमेरिकी साम्राज्यवाद की अपमानजनक हार, दुनियां में साम्राज्यवाद-विरोधी आम उभार, चिली में प्रतिरोध के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन, रंगभेद-विरोधी आंदोलन और क्यूबा के लोगों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध ने निस्संदेह उनके समय के युवाओं को प्रेरित किया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए तानाशाहीपूर्ण आपातकाल के दौरान वे भूमिगत हो गए और प्रतिरोध को संगठित किया, अंततः 1975 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के बाद, वे एक ही शैक्षणिक वर्ष 1977-78 के दौरान तीन बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। यह सम्मान केवल उनके ही पास है, जो उनकी लोकप्रियता के साथ-साथ कैंपस में उस एसएफआई की मजबूत उपस्थिति का प्रमाण है, जिसके निर्माण में उन्होंने मदद की। वे 1984-86 के दौरान वे एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे। 32 वर्ष की अपेक्षाकृत कम उम्र में ही उन्हें 1984 में सी.पी.आई. (एम.) की केंद्रीय समिति में शामिल कर लिया गया था और अगले वर्ष नवगठित केंद्रीय सचिवालय में शामिल कर लिया गया। 1992 में माकपा के 14वें अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्हें पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया था।

पोलित ब्यूरो में उनका प्रवेश ऐसे समय में हुआ था, जब दुनिया भर में समाजवाद के भविष्य को लेकर तीखी बहस चल रही थी और सोवियत संघ के पतन के बाद 'इतिहास के अंत' और उदारवादी नीतियों की जीत की चर्चा हो रही थी। यह वह समय भी था, जब भारत में फासीवादी आरएसएस के नेतृत्व में राजनीतिक दक्षिणपंथी ताकतें उभर रही थीं। उन्होंने सामूहिक नेतृत्व के साथ मिलकर सीपीआई(एम) को वैचारिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ाया, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा टूटी और उम्मीद की किरण जगी। इस दौरान साम्राज्यवाद, नवउदारवादी आर्थिक नीतियों, सांप्रदायिक ताकतों और हिंदुत्व की विचारधारा पर उनके लेख बहुत प्रासंगिक हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति के दौर में उन्होंने नीतियों और साझा न्यूनतम कार्यक्रम को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर तब जब पहली यूपीए सरकार बनी थी। यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वामपंथ की ताकत का इस्तेमाल प्रगतिशील कानूनों जैसे कि मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सका।

12 वर्षों तक सांसद के रूप में, वे सांप्रदायिक-कॉपरिट भाजपा शासन के खिलाफ सबसे प्रभावी आवाजों में से एक के रूप में देखे गए और कई मौकों पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मजदूर वर्ग, किसानों और उत्पीड़ित लोगों के मुद्दों पर वे संसद के साथ-साथ सड़कों पर भी एक प्रेरक उपस्थिति थे। विशेष रूप से उल्लेखनीय है रू भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी भूमिका और किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष के दौरान उनके समर्थन में विपक्षी दलों को लामबंद करना, जिससे अंततः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को माफी मांगने और तीन कॉपरिट समर्थक कृषि अधिनियमों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सका। विभाजनकारी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करने, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों, राज्यों के संघीय अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता, उत्पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा में उनकी भूमिका ने भी उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया। सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण, खाद्य सुरक्षा, विमुद्रीकरण के खतरे, जीएसटी और ऐसे ही मामलों के साथ-साथ कॉपरिट भाईचारे के खिलाफ भी उनकी आवाज एक मजबूत आवाज थी। वे जनता के एक उत्कृष्ट शिक्षक भी थे, जिन्होंने पूंजीवादी विकास के साम्राज्यवाद, फासीवाद और नवउदारवादी त्रिशूल का मुकाबला करने के लिए उन्हें वैचारिक रूप से तैयार किया। वर्ग संघर्ष को अस्पृश्यता, सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर उनके विचार की स्पष्टता भी उल्लेखनीय है। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ-साथ विश्व के नेताओं के साथ उनके व्यापक संपर्क को भी बखूबी मान्यता मिली है और नेपाल में राजशाही विरोधी संघर्ष के बाद और वहां विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ समन्वय सहित लोकतांत्रिक परिवर्तन में उनकी भूमिका को अक्सर उद्धृत किया जाता है।

नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के साथ कृषि क्षेत्र में उभरते अंतर्विरोधों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि ने आंदोलन के एक सही कॉपरिट विरोधी रुख को विकसित करने में मदद की, बिना इस तथ्य को नजरअंदाज किए कि इस एकता के केंद्र में भूमिहीन, खेत मजदूर और गरीब किसान होने चाहिए, जिनके इर्द-गिर्द एक साझा दुश्मन को हराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे व्यापक एकता का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने अक्सर पार्टी कार्यक्रम के इस पहलू पर जोर दिया कि कृषि क्रांति जनता की जनवादी क्रांति की धुरी है और इसके लिए मजबूत मजदूर-किसान एकता का महत्व को उन्होंने प्रतिपादित किया। कॉमरेड सीताराम ने लगातार भारत में हिंदुत्व फासीवादी ताकतों के उदय को वैश्विक पूंजी के उदय और आधिपत्य के साथ जोड़ा और जोर दिया कि केवल मजदूर-किसान गठबंधन ही इन विभाजनकारी फासीवादी ताकतों का विरोध कर सकता है और उसे पराजित कर सकता है।

व्यक्तिगत रूप से, मेरा उनसे तीन दशक पुराना जुड़ाव रहा है। 1995 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में मैं पहली बार उनसे छात्र संघ द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में मिला था। इस विश्वविद्यालय का मैं दस साल तक छात्र रहा। इस दौरान, ऐसे अनगिनत अवसर आए थे, जब उन्होंने अपने भाषणों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिनमें राजनीतिक घटनाक्रमों पर रिपोर्टिंग, उनके व्यापक अनुभवों से जुड़े किस्से, सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भ होते थे। उनके भाषणों में हास्य और तीखेपन का अद्भुत मिश्रण होता था। जेएनयू छात्र संघ के लिए एक के बाद एक चुनावों में, अंतिम आम सभा के वक्ता के रूप में उनकी मांग सबसे अधिक होती थी। यह आमसभा आमतौर पर चुनाव अभियान का चरमोत्कर्ष होता था, जो संगठित वामपंथ के पक्ष में निर्णायक माहौल बनाता था और हमेशा इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। कई मायनों में हम उनके बोलने के क्रम का अनुमान लगा सकते थे। वे श्रोताओं से यह सवाल पूछते थे कि वे अंग्रेजी में बोलें या हिंदी में या अपनी मातृभाषा तेलुगू में, क्योंकि वे बहुभाषी थे। वे छात्र आंदोलन में अपने अनुभव बताते थे, तीन बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने पर जोर देते हुए बताते थे कि जेएनयू में लोकतंत्र कैसे काम करता है। वे कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के दमन के बारे में बताते थे और कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी को जेएनयू छात्र संघ की वह मांग पढ़कर सुनाई, जिसमें उनसे विश्वविद्यालय के कुलपति पद से हटने के लिए कहा गया था, जिस पर उन्होंने 1977 के चुनावों में अपनी हार के बाद भी कब्जा बनाए रखा था। पी.जी. वोडहाउस से कुछ उद्धृत करते हुए, गंगा छात्रावास में रहने की यादों को ताजा करते हुए, जो उस समय लड़कों का छात्रावास था, वे पूंजीवाद के श्टीनाश् के तर्क का “समाजवाद ही विकल्प है” जवाब देते हुए, मुस्कुराते हुए इसके संक्षिप्त नाम एसआईटीए (सीता) का जिक्र करते थे। यह केवल नए श्रोताओं को बाद में आने वाले अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए एक तैयारी होती थी। वे जाति उत्पीड़न और सांप्रदायिक राजनीति की तीखी आलोचना के साथ-साथ विश्व घटनाक्रम, साम्राज्यवादी आक्रमण और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण भी करते थे। समसामयिक मुद्दों पर व्यापक तरीके से चर्चा करने वाला उनके भाषण का यह अंतिम भाग सबसे अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण होता था और अध्यक्ष पद की बहस के लिए स्वर और भाव निर्धारित करता था और साथ ही मतदाताओं पर अपनी छाप छोड़ता था। जटिल मुद्दों से निपटते हुए भी सरल और आकर्षक तरीके से अपनी बात कहने की उनकी क्षमता, चाहे भाषण में हो या लेखन में, विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

वे असाधारण शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति थे और आपातकाल के तुरंत बाद तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के कारण उन्हें अपनी पीएचडी छोड़नी पड़ी थी। मुझे बहुत प्यार से उनका यह आग्रह याद आता है कि मैं उनकी तरह और उनके कई अन्य साथियों की तरह अपनी पीएचडी पूरी करने से पहले बीच में न छोडूं। मैं वास्तव में इसे पूरा करने में कामयाब रहा। जब से मैंने अपनी अध्यापन की नौकरी छोड़ी और पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा में पूर्णकालिक रूप से काम करना शुरू किया, तब से कई ऐसे अवसर आए, जब हमने मुद्दों पर, आंदोलन की दिशा के बारे में और व्यापक सहमति बनाने के लिए बातचीत की। ऐसे भी अवसर आए, जब उन्होंने सलाह ली या ऐसे मुद्दों को ध्यान में लाया, जो हमारी प्रतिक्रिया के योग्य थे। पिछले तीन दशकों में, कई बार अलग-अलग बहसों के विपरीत पक्षों पर होने के बावजूद, उन्होंने हमेशा गर्मजोशी से भरा व्यवहार बनाए रखा और मेरे विचारों को आकार देने में भी भूमिका निभाई।

उनसे मेरी आखिरी बातचीत नागा लोगों की ओर से शांति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में की गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करने में भूमिका निभाएंगे और उनके इन बड़े-बड़े दावों पर सवाल उठाएंगे कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है। यह काम अधूरा रह गया। अलविदा प्रिय कॉमरेड! लाल सलाम कॉमरेड सीताराम! ■

सीताराम येचुरी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में दिया गया भाषण: 'हमें हिंदू पाकिस्तान नहीं चाहिए'

शुभोजीत डे
द्वारा सुनकर लिखा गया

महोदय, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम इतिहास को याद करते हैं, तो हम न केवल उस इतिहास को बल्कि, उसके उद्देश्य एवं वह क्या था जिसने इसे एक सफल आंदोलन बनाया को देखना होगा। महोदय, अगर आप इतिहास पर नज़र डालें, तो महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य सतारा का संदर्भ आता है। उस स्वतंत्र राज्य के नेता नाना पाटिल थे, जो [अविभाजित] भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जो इस सदन [राज्यसभा] और दूसरे सदन [लोकसभा] में रहे थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की रानी झाँसी रेजिमेंट का नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया था, जो सीपीआई (एम) की सदस्य थीं और राष्ट्रपति पद के लिए हमारी उम्मीदवार भी रही थीं। इसलिए हमें इस इतिहास को अपने नाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज हम सेलुलर जेल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में) जाते हैं, वहां संगमरमर पर लिखे 80% नाम बंगाल या अविभाजित पंजाब के कम्युनिस्टों के हैं। चटगाँव शस्त्रागार संघर्ष की कल्पना दत्त एक और उदाहरण हैं। महोदय, इतिहास हम सभी के सामने है।

आपके पास भारत के माननीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर [संसद में] मध्यरात्रि का सत्र आयोजित किया था। उन दिनों हम अपने इतिहास को याद करने और सीखने के लिए सत्र आयोजित करते थे, न कि जीएसटी जैसी कोई परियोजना शुरू करने के लिए। उस अवसर पर उन्होंने क्या कहा? मैं उनके भाषण से उद्धृत कर रहा हूँ: "कानपुर, जमशेदपुर, अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर हड़तालों के बाद, 5 सितंबर, 1942 को दिल्ली से लंदन में राज्य सचिव को रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया गया था कि, इसके कई सदस्यों के व्यवहार से यह साबित होता है जो की हमेशा से स्पष्ट भी था कि यह ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारियों से बनी है।" क्या कुछ और कहने की ज़रूरत है?

मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि, इस आंदोलन का एक ही बिंदु था - बेशक नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास था, पर कम्युनिस्ट भी ए.आई.सी.सी. (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) में थे। पहली बार 'पूर्ण स्वतंत्रता' का प्रस्ताव ए.आई.सी.सी. के अहमदाबाद अधिवेशन में 1921 में पेश किया गया था और इसे किसने पेश किया था? यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से था। इसे पेश करने वाले दो लोग कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद - एक मौलाना और एक स्वामी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 'पूर्ण स्वतंत्रता' की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करते हैं। महात्मा गांधी ने तब इसे स्वीकार नहीं किया था लेकिन अंततः 1929 के लाहौर ए.आई.सी.सी. अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज' का नारा दिया गया।

जब हम भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हैं, तो हमें विविधता में एकता की इसकी विशिष्टता को याद रखना चाहिए। अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात हो रही है, तो उसकी एक और खासियत को ध्यान में रखना है, वो है अपनी सांझी विरासत और ये सांझी विरासत देश के लोगों की है, हिंदू,मुसलमान, दलित, ब्राह्मण जो भी है, सब की इकठ्ठा और एलओपी जब ज़िक्र कर रहे थे (जिस का विपक्ष के नेता उल्लेख कर रहे थे...) कि 1857 में, एक ब्रितानी इतिवृत्त में एडवर्ड लोव नाम का था, वह 1857 में भारत में क्या हो रहा था, इसका विवरण दे रहा था। इतिवृत्त में, वह क्या लिखता है सर? "अगर बचकाना राजपूत, धर्मांध ब्राह्मण, सुअर खाने वाला और सुअर से नफरत करने वाला, गौ खाने वाला और गौ पूजा करने वाले, अगर यह सब एक साथ आ जाएं तो भारत में अंग्रेजों का कोई भविष्य नहीं है। उस एकता के कारण ही हमें आजादी मिली, सर। आज अगर आप उन सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने उस इतिहास को रचा और भारत को स्वतंत्र कराया, जिसके लिए हम सभी को गर्व है; ए.के. गोपालन ने 15 अगस्त 1947 को तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया; हमारे इस संयुक्त इतिहास की विशिष्टता यह एकता है।

आज हम (भारत छोड़ो आंदोलन की) 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और भविष्य की ओर देख रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने, अपने 'मन की बात' में कहा कि 1942 से 1947 तक, ये महत्वपूर्ण वर्ष थे 1947 में हम स्वतंत्र हुए, हम सभी को गर्व है, हम सभी स्वतंत्र भारत की संतान हैं, हमें वह भारतीय राष्ट्रीयता विरासत में मिली है। लेकिन उन 5 वर्षों में (1942 से 1947 के बीच), हमने राष्ट्र को विभाजित होते भी देखा, हमने भारत का विभाजन भी देखा, हमने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी देखा, जिसके कारण दुर्भाग्य से भारत का विभाजन हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने भी मदद की। इसलिए, यदि आप उन पांच वर्षों का उल्लेख कर रहे हैं, तो यह एक अशुभ संकेत है, यह एक बहुत ही काला बादल है, उम्मीद की किरण यहीं है (एक रेखा खींचने का इशारा करते हुए)।

—कानून मंत्री रविशंकर बीच में टोकते हैं—

मुझे नहीं पता कि मेरे माननीय मित्र और मंत्री इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं । यह माननीय प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता को भारत छोड़ देना चाहिए, मैं उस सांप्रदायिकता की बात कर रहा हूं । यह भारत के हमारे प्रधान मंत्री और आपके नेता हैं जिन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता को भारत छोड़ देना चाहिए । मैं कह रहा हूं, क्या हम इस से भारत छुडवाने के लिए कुछ कर रहे हैं ? मैं इसी संकल्प की बात कर रहा हूं । इसीलिए मैं (सदन को) अन्य कारकों की याद दिला रहा हूं जो इस उपमहाद्वीप के विभाजन का कारण बने । वहां पर पाकिस्तान बन गया, यहां पर हिंदुस्तान एक धर्मनिषेध जनतंत्र का गणतंत्र बना । वो हमारे संविधान की बुनियाद है । आज इस गणतंत्र को हमें बरकरार रखना है, मजबूत करना है, तो वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए आगे के लिए ।

भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने का क्या मतलब है । आज आपको जिन चीजों को छोड़ना है, वो हैं वो आर्थिक नीतियां जो बेरोजगारी बढ़ा रही हैं, जो गरीबी बढ़ा रही हैं, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ा रही हैं, यह दो भारत बना रही हैं, जहां इन पिछले तीन वर्षों में; जब डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे यहां काफी चर्चा होती थी, कैसे हम दो भारत बना रहे हैं, एक गरीबों का, एक अमीरों का । 2014 में करीब जीडीपी का 49 प्रतिशत, जैसा कि मैंने कहा, भारत की 1 प्रतिशत आबादी के पास था । आज स्थिति क्या है ? करीब जीडीपी का 60 प्रतिशत महज 1 प्रतिशत आबादी के हाथ में है । क्या यही वो भारत है जिसका सपना लिए 1947 में देश आजाद हुआ था ? क्या यही वो भारत है जहां युवा शक्ति, जो की दुनिया में सबसे बड़ी है,—

—अध्यक्ष जी घंटी बजाते हैं—

महोदय, अंग्रेज भी खूब घंटियां बजाते थे लेकिन गांधीजी कभी रुकते नहीं थे । जब तक उन्होंने भारत छोड़ नहीं, तब तक वे नहीं रुके । महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर आज हम 75वीं वर्षगांठ पर भारत छोड़ो आह्वान करते हैं, तो ये नवउदारवादी आर्थिक नीतियां का हो, जो मेरे लोगों को गरीब बना रही हैं, ये सांप्रदायिकता हो जो मेरे देश को बांट रही है, और यही है जो एक बेहतर भारत बनाने के संघर्ष में लोगों को एकजुट कर सकता है ।

कृपया समझिए, संकल्प क्या होना चाहिए ? सिर्फ अतीत की यादों को याद करना नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, हम याद कर सकते है । हम दोष भी बांट सकते हैं । हम ये भी कह सकते हैं कि किसने क्या किया । लेकिन सवाल ये है कि क्या हम आगे बढ़ने वाले हैं ? या हम पीछे की ओर देखने वाले हैं ? अब आप भविष्य के उजाले में जाएंगे, या भूत के अंधेरे में जाएंगे ? भूत के अंदर जाने की जो विचारधारा है उसको हमें बहिष्कृत करने की जरूरत है । बिना बहिष्कार किए, हम भविष्य के उजाले में नहीं जा सकते । इसलिए मेरी एक ही बात है सर ।

आईएनए सुनवाई के दौरान और रिन (रॉयल इंडियन नेवी) विद्रोह की अवधि के दौरान, एक गीत था सर, जिसके साथ हम सभी बड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि हमें उस गीत को फिर से गाना चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए: मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बंटा, मत बांटो इंसान को ।

सर ! आगे की दिशा भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को मजबूत करने की होनी चाहिए, न कि भारत में हिंदू पाकिस्तान बनाने की । हमें इसी दिशा में काम करना है ।

नवउदारवादी सुधारों को छोड़ो, सांप्रदायिकता को छोड़ो ! धन्यवाद । ■

बुद्धदेव भट्टाचार्य : एक असाधारण कम्युनिस्ट

प्रभात पटनायक
(अर्थशास्त्री)

बुद्धदेव भट्टाचार्य एक रूढ़िवादी परिवार से आते थे । बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि सुकांत भट्टाचार्य, जिनकी मृत्यु बीस वर्ष की आयु में तपेदिक से हुई थी, उनके चाचा थे, लेकिन परिवार सुकांत की राजनीति से सहमत नहीं था, जैसा कि बुद्ध की राजनीति से भी सहमत नहीं था । बुद्ध का राजनीतिकरण एक अलग स्रोत से हुआ था, उनकी युवावस्था का बंगाल न केवल बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से जीवंत क्षेत्र ही नहीं था, बल्कि वहां साम्यवाद की एक उल्लेखनीय विरासत भी थी, जिस का बड़ा हिस्सा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद सीपीआई (एम) को विरासत में मिला था । ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता हैरी पोलिट ने कथित तौर पर भारत की यात्रा के बाद कहा था कि भारत जैसी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वह अपना दाहिना हाथ दे सकते है । इसके कार्यकर्ता समर्पित, अनुशासित, संयमी, भ्रष्टाचार से अछूते और अपने आसपास के समृद्ध बौद्धिक एवं सांस्कृतिक लोकाचार में दृढ़ता से जुड़े हुए थे; यह विशेषकर बंगाल के लिए बिलकुल सच था । इसके अलावा, भारत विशेष तौर पर बंगाल में स्वतंत्रता के समय भूमि सुधारों को लागू कर जनवादी क्रांति को आगे बढ़ाने का कार्य छुट गया था; कम्युनिस्ट ही यह कर सकते थे । लेनिन ने ऐसी ही परिस्थिति के बारे में सिद्धांत दिया था और कम्युनिस्ट इस कार्य के बारे में स्पष्ट थे ।

दूरदृष्टि की इस स्पष्टता और उनकी संगठनात्मक ताकत ने पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को एक अद्भुत आकर्षण दिया जिसने बुद्ध और उनकी पीढ़ी के कई युवाओं को साम्यवाद की ओर आकर्षित किया । वास्तव में, पचास के दशक से ही कम्युनिस्ट पश्चिम बंगाल में एक अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में दिखाई देने लगे थे, जिन्हें केवल क्रूर दमन के माध्यम से ही सत्ता से दूर रखा जा सकता था । आश्चर्य की बात नहीं है कि आपातकाल के दमन के बाद में आई शांति ने 1977 में वाम मोर्चे को राज्य की सत्ता में आने का मौका दिया; और बुद्ध जो एक प्रमुख छात्र एवं युवा नेता व अखिल भारतीय जनवादी नोजवान सभा के राज्य सचिव थे, उन्हें 33 वर्ष की आयु में ज्योति बसु के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वे उन पांच युवाओं में से एक थे जिन्हें सीपीआई (एम) के राज्य सचिव प्रमोद दासगुप्ता पुरानी पीढ़ी के बाद जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार कर रहे थे ।

बुद्ध ने बासठ साल के अपने वयस्क जीवन का आधे से अधिक हिस्सा, वाम मोर्चा सरकार में मंत्री के रूप में बिताया, पहले संस्कृति मंत्री, फिर गृह मंत्री और अंत में मुख्यमंत्री के रूप में । उनके कार्यकाल में सिर्फ दो अंतराल थे, लेकिन दोनों ही बेहद संक्षिप्त थे, जिससे वे रचनात्मक लेखन की अपनी इच्छाओ को पूरा नहीं कर पाए; उन्होंने इनमें से एक अंतराल के दौरान एक नाटक लिखा था जिसका कोलकाता में मंचन भी हुआ था, लेकिन उनके मंत्री पद की जिम्मेदारियों के कारण वह और अधिक नहीं लिख पाए । हालांकि इसका यह भी अर्थ है कि उनका जीवन, उसके उतार-चढ़ाव, वाम मोर्चा शासन के इतिहास से अविभाज्य हो गए ।

वाम मोर्चा सरकार, जिसके बुद्ध एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, ने पश्चिम बंगाल में जनवादी क्रांति के अधूरे कार्य को पूरा करने में एक शानदार भूमिका निभाई । ऑपरेशन बर्गा, जिसके तहत तब तक कानूनी रूप से पहचान से वंचित बटाईदारों को पंजीकृत किया गया, जिससे वे खेती करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते थे एवं पंचायत प्रणाली का पुनरुत्थान जिसने एक जीवंत जमीनी स्तर की राजनीति को जन्म दिया, वाम मोर्चा शासन की कुछ उपलब्धियाँ थीं । जिसने न केवल जोतदारों की शक्ति को कम किया और भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र को फिर से जीवंत किया, बल्कि पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया । वास्तव में नब्बे के दशक में पश्चिम बंगाल भारत में कृषि विकास के मामले में शीर्ष स्थान वाला राज्य बन गया था ।

इस चरण के समाप्त होने के बाद, वाम मोर्चा सरकार इस बारे में कम स्पष्ट थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए । औद्योगीकरण की आवश्यकता स्पष्ट थी, लेकिन औद्योगीकरण कैसे पूरा किया जाना चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल को राज्य में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पूंजीपतियों को लुभाने के पारंपरिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? या उसे कृषि से जुडी सहकारी समितियाँ बनानी चाहिए ताकि कृषि विकास की गति बनी रहे और साथ ही ऐसे उद्योग शुरू किए जा सकें जिनका स्वामित्व बड़े पैमाने पर किसानों के पास हो? या उसे सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिए? जबकि इनमें से अंतिम विकल्प को वित्तीय बाधाओं के कारण खारिज कर दिया गया था । मुख्यमंत्री के रूप में बुद्ध ने पहले विकल्प को चुना । उनका निर्णय व्यावहारिकता की भावना से प्रेरित हो सकता है; यह इस पारंपरिक मार्ग का अनुसरण करते हुए चीन की उल्लेखनीय सफलता से प्रभावित हो सकता है; और यह पश्चिम बंगाल में एक छोटी कार विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में टाटा द्वारा दिखाई गई

रुचि से भी प्रभावित हो सकता है । लेकिन जो भी कारण हो, इस परियोजना के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण करने के वाम मोर्चा सरकार के प्रयास ने उसे किसानों से दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो अंततः इसकी हार का कारण बनी तथा बुद्ध को सक्रिय राजनीति छोडनी पड़ी । इस बीच, बेशक, वाम मोर्चे के शासन की लम्बी अवधी के दौरान पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी; यह अब वह पार्टी नहीं रही थी जिसके लिए हैरी पोलिट अपना दाहिना हाथ देने को तैयार थे ।

यह कहना गलत होगा कि, शुरुआती वर्षों के बाद वाम मोर्चे का योगदान महत्वहीन था । इसने राज्य के भीतर स्वायत्त परिषदों के विचार को अलग राज्य की मांगों के जवाब में आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरह जैसे वामपंथियों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विचार को आगे बढ़ाया था । दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, जिसके गठन में गृह मंत्री के रूप में बुद्ध की प्रत्यक्ष भूमिका थी, इसी विचार का परिणाम था । वर्तमान में भारत के कई राज्य, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है में फिर से विभिन्न आंतरिक निवासी समूहों द्वार अलग राज्य के दर्जे की मांग की जा रही रहे हैं । परिषद का ढांचा संसाधनों और शक्तियों के हस्तांतरण को इस तरह से समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है जिससे किसी भी अलग राज्य की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके; इसकी खोज करना बुद्ध की विरासत का प्रमाण होगा ।

बुद्ध का जीवन अनुकरणीय सादगी और तपस्या का जीवन था । वह पूरी तरह से अहंकार से मुक्त थे । एक कम्युनिस्ट की छवि के अनुरूप, दो कमरों वाले अपार्टमेंट में रहते थे, जिसको तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी । वह काफी समय से बीमार थे, जिसके कारण उन्होंने सीपीआई(एम) के पोलित ब्यूरो की जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए कहा था । बुद्ध से कोई सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में वास्तव में एक महान और उत्कृष्ट हस्ती थे । ■

बाबरी से मुरादाबाद वाया रतलाम बाड़ाबंदी का अभियान

बादल सरोज
(अखिल भारतीय संयुक्त सचिव, किसान सभा)

हादसे वक्त के गुजरने के साथ अपने आप बेअसर नहीं होते, जख्म खुदबखुद नहीं भरते । इसका उलट जरूर होता है, गुनाह अगर सही तरीके से, बिना कोई रूरियायत किये हिसाब में नहीं लिए जाएँ तो उनके ढेर से उठने वाली सड़ांध सिर्फ बदबू ही नहीं फैलाती अनगिनत बीमारियों के संक्रमण का जरिया बन जाती है । कभी कभी तो इस कदर, इतनी चौतरफा व्याप्त हो जाती है कि नासमझ होना ही समझदारी और बीमार होना ही अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण माना जाने लगता है । यह कालखण्ड कुछ इसी तरह का होने लगा है । बाबरी मस्जिद के आपराधिक ध्वंस के बाद जो हुआ या योजना बनाकर सिलसिलेवार तरीके से जो किया गया वह नित नए विषाणुओं के हमलों के रूप में दिखने लगा है । हिन्दू राष्ट्र की विस्फोटक परिकल्पना को सार्वदेशिक बनाने की यात्रा नीचे, एकदम नीचे सुरंगें बिछाकर, पलीते लगाने से शुरू कर दी गयी और मुरादाबाद से वाया रतलाम मुम्बई होते हुए पूरे देश को अलग अलग घेरों में बाँधने तक आ पहुंची हैं । खुदाई के महाअनुष्ठान का शंख पहले ही फूँका जा चुका था ; आगाज़ संभल की मस्जिद से शुरू होकर अभी अजमेर की दरगाह तक पहुंचा है । कहां कहाँ जाएगा यह वक़्त बताएगा । सबसे बड़ी अदालत के सबसे बेतुके फैसले की पूंछ पकड़ कर अब छोटी मोटी अदालतें भी खुदाई अनुष्ठान में जुट गयी हैं और देश के संविधान, विधिमान्य कानूनों की आहुतियाँ देकर स्वाहा स्वाहा किये जा रही हैं । माननीय उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश इस पर अपनी सील मुहर लगाने के लिए इतने तत्पर हुए पड़े हैं कि सारी दिखावटी गरिमा, लाज शरम खूँटी पर टांगकर विश्व हिन्दू परिषद् जैसे घोषित सांप्रदायिक संगठनों के खूंटे पर जाकर पगुरा रहे हैं और जो बोल रहे हैं उससे जो थोड़ी बहुत न्यायपालिका की विश्वसनीयता बची थी उसकी भी आहुति दे रहे हैं । अपने इस आचरण से अ-

-धीनस्थ न्यायपालिकाओ में अब तक जो दबी छुपी बांबी थीं उनके ढक्कन खोल रहे हैं । संभल, अजमेर बड़े पूजा स्थल हैं, उनके साथ हुआ चर्चा में भी आ जाता है, छोटे गाँवों कस्बों में इस तरह की कारगुजारियां क्या कहर बरपा करेंगी इसकी कल्पना ही की जा सकती है ।

हाल में एक और पिटारा मुरादाबाद में खोला गया है । यहाँ के नवधनाढ्यों की एक हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले डॉ बजाज ने अपना मकान एक अन्य काबिल डॉक्टर दंपत्ति को बेच दिया । संयोग से यह दंपत्ति चिकित्सक होने के अलावा मुसलमान भी हैं । मकान का सौदा होते ही बाबेला शुरू हो गया । पहले महिलाओं का प्रदर्शन कराया गया इसके बाद कुछ पुरुष इकट्ठा हुए और ज्ञापन वगैरा दिए गए । दावा किया गया कि यदि यहां मुस्लिम परिवार रहेगा तो इस से परेशानी होगी और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है । कहा गया कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति इस कालोनी में आकर बसे । यहाँ तक कहा कि हम कॉलोनी वालों ने तय कर लिया है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए हम कॉलोनी का गेट नहीं खोलेंगे । इस बेहूदा विवाद पर प्रशासन का बर्ताब और भी चौंकाने वाला था । उसने इस सरासर गैरकानूनी, असामाजिक और असभ्यतापूर्ण मांग पर सख्ती के साथ पेश आने की बजाय 'दोनों पक्षों से बात करके रास्ता निकालने' का रास्ता चुना और रास्ता यह निकला कि मुस्लिम डॉक्टर दम्पत्ति को अपना खरीदा हुआ मकान छोड़कर जाने का रास्ता चुनना पडा । मुरादाबाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व वाले उत्तरप्रदेश में आता है । यह ठीक वही – घेट्टोआईजेशन – बाड़ाबंदी है जिसे कोई 90 साल पहले नाज़ी जर्मनी में हिटलर और उसके दस्तों ने आजमाया था ; उसके निशाने पर यहूदी थे, इनके निशाने पर फिलहाल मुसलमान है । 'दूसरे धर्मों के लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, सिर्फ हिन्दू ही रहेंगे' का आधार नीचे से सुरंगें बिछाकर धर्माधारित राष्ट्र की दुष्ट परिकल्पना को व्यवहार में उतारने की कोशिश है ।

आज मुरादाबाद की मकान खरीदी की घटना की वजह से जो विद्रूप तरीके से सामने आ गया, वो अचानक नहीं हुआ है । कुछ समय पहले मुम्बई की एक जैन – जो खुद धार्मिक अल्पसंख्यक हैं – बहुल हाउसिंग सोसायटी में भी यह सब इसी तरह खुलेआम हुआ था । मगर मूलतः यह गुजरात मॉडल है जहाँ पिछली कुछ वर्षों से इसे गाँव गाँव करके कई गाँवों और बसाहटों में कहीं एलानिया लिखकर तो कहीं गुपचुप ही लागू किया गया है । मोदी जिसे अपना मानते हैं उस गुजरात में अनेक गाँव ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं को हिन्दू राष्ट्र घोषित ही कर दिया है । अपने गाँवों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स लटकाकर उन पर लिख दिया है "हिन्दू राष्ट्रनूं गाँव में आपनूं हार्दिक स्वागत करे छे" मतलब हिन्दू राष्ट्र के गाँव में आपका हार्दिक स्वागत है !! यह एकाध दो गाँवों तक सीमित मामला नहीं है, ऐसे अनेक गाँव हैं और यह भी कि जैसा दावा किया जाता है कि यह गाँव के कुछ उत्साही नौजवानों ने किया है वैसा नहीं है ; इन गाँवों में 'हिन्दू राष्ट्र का गाँव' होने की घोषणा करने वाले बोर्ड्स पर विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के नाम गुदे हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं कि ये तीनों संगठन किस के साथ जुड़े हैं । इसलिए इन्हें स्थानीय स्वतःस्फूर्तता मान लेना भुलावे में रहना होगा । यह वैसा ही झांसा है जैसा 6 दिसम्बर 92 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद अगले तीन दिनों में एक एक करके दिए बयानों में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी और आर एस एस के तबके सरकार्यवाह बाद में सरसंघचालक बने राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया ने दिया था और इस कार्यवाही की निंदा करते हुए उसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था । यह ठीक वैसी ही झूठ बयानी है जो मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ समय पहले की थी कि 'हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूँढना हमारा काम नहीं है ।' वे अपने इस कथन के प्रति कितने गम्भीर थे यह इन दिनों उन्हीके कुनबे द्वारा युद्धस्तर पर शुरू किये जा रहे खुदाई अनुष्ठान से साफ हो जाता है ।

यह सिर्फ देखने सुनने में ही कर्कश और बुरा नहीं है, इसके जो नतीजे निकलने हैं वे इससे भी ज्यादा खराब होंगे । मानव समाज का निर्माण और सभ्यताओं का विकास बंद बाड़ों से बाहर आने के बाद हुआ है, उसे फिर से अलग अलग बाड़ों में बंद करके आगे नहीं ले जाया जा सकता, पीछे ही लौटाया जा सकता है । भारतीय समाज के ढाँचे में यह सिर्फ यहीं तक रुकने वाला नहीं है ; इसलिए कि आज जो तर्क मुसलमानों को लेकर दिए जा रहे हैं वे वही तर्क हैं जो हमेशा शूद्रों और अन्य कथित निम्न समझे जाने वाले समुदायों और स्त्रियों के बारे में दिए जाते रहे हैं और सिर्फ दिए ही नहीं गए लागू भी किये जाते रहे हैं । यह सिर्फ कहासुनी भर की बात नहीं है, ये वे 'नियम' हैं जिन पर वह 'महान' बताई जाने वाली संस्कृति पली बढ़ी जिसकी पुनर्बहाली इस कुनबे का अंतिम लक्ष्य है । आज भी भारत के गाँव और ज्यादातर पुराने शहर इसी तर्ज पर बसे हुए हैं । आज भी शूद्रों के घर गाँव की दक्षिण दिशा में होते हैं और उन्हें दक्खिन टोला कहकर पुकारा जाता है । दक्षिण दिशा अत्यंत अशुभ दिशा मानी जाती है । मनु स्मृति सहित वर्णाश्रमजीवी सभी ग्रन्थ किसे कहाँ, किस दिशा में बसाया जाना चाहिये का स्पष्ट प्रावधान करते हैं और चांडालों तथा शूद्रों को बाकी वर्णों के रहने के इलाके से दूर दक्षिण दिशा में रहने को ही 'धर्मसम्मत' बताते हैं । वास्तुशास्त्र सहित कई ग्रन्थ तो और आगे बढ़कर भूमि को भी वर्ण के अनुरूप विभाजित करते हुए श्वेत वर्ण की कोमल भूमि ब्राह्मणी भूमि. दिखने में थोड़ी लाल को क्षत्रिय भूमि, जिस मिट्टी का रंग पीला हो उसे वैश्य भूमि बताते हुए निर्धारित करता है कि जहाँ की मिट्टी काली हो , वही स्थान शूद्रों का है । वृहसंहिता तो मकान के रंग और उसमे कमरों की संख्या भी तय कर कहती है कि शूद्रों के घर किसी भी हालत में 2 कमरों से अधिक के नहीं होने चाहिए । ये चंद याद आये उदाहरण हैं, ऐसे अनेक हैं । मुरादाबाद के नवधनाढ्य यदि सिर्फ हिन्दू धर्म के लोगों को ही अपने साथ रखने पर इस कदर जोर

देंगे तो उसी धर्मसम्मत व्यवहार के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिस के आधार पर वे अपना बाड़ा बनाने को आतुर हैं । बात जब शुरू होगी तो यही तक थोड़ी रुकेगी ।

यह न तो ज्यादा दूर की कौड़ी है ना ही अब कालातीत हो गयी बात है । नयी और आधुनिक टाउनशिप्स और कालोनियों में बसे लोगों का सामाजिक प्रोफाइल जांचेंगे तो आज भी विरले ही अपवाद मिलेंगे । कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से पूरी डिग्री लेकर और लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से आधी पढ़ाई करके वजीफे के साथ हुए अनुबंध की शर्तें पूरी करने बड़ोदा राजघराने की नौकरी करने आये डॉ बी आर अम्बेडकर को अपनी जाति छुपाकर पारसी बनकर कमरा किराए पर लेना पड़ा था । बाद में जाति का पता लगने पर उन्हें घेरकर हमला करने की जो कोशिश हुई थी वह भी पुरानी कहानी नहीं है । बनारस में अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी का स्वास्थ्य देखने गए उन्ही की पार्टी के अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम के वापस लौटने पर पंडित जी ने अपने घर का शुद्धीकरण किस तरह किया था यह भी कोई पाषाण कालीन घटना नहीं है । अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री न रहने के बाद नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हाउस में प्रवेश करने से पहले उसकी इंच इंच को गंगाजल से धुलवाकर किस तरह 'पवित्र' किया था यह तो अभी अभी 2017 की बात है । मुरादाबाद में मुस्लिम डॉक्टर के बहाने जो बाड़ाबंदी - घेट्टोआईजेशन – किया जा रहा है वह अंत में यहीं तक पहुँचने वाला है ।

जिन महिलाओं को आगे करके यह एजेंडा आगे बढाया जा रहा था उन्हें शायद ही यह भान होगा कि इस बाड़े में भी एक दड़बा होना है जो ख़ास उन्हीके लिए होगा । उन्हें नहीं पता कि उनके गले में ये किस की आवाज है, वे नहीं जानतीं कि जो उन्हें इस प्रदर्शन के लिए बैनर छपवा कर दे रहे हैं उनके पास अगले बैनर्स भी तैयार रखे हैं जिनमे महिलाओं की हद और सीमाएं निर्धारित की जाने वाली हैं । पैकेज आता है तो अधूरा नहीं आता पूरा ही आता है ।

इस तरह के पैकेजों के थोक व्यापारी नौसिखिये नहीं हैं । वे जानते हैं कि दारुण दुःख देने से पहले मति हर लेना, बुद्धि और विवेक का हरण कर लेना जरूरी होता है । गुजरात के जिन गाँवों का जिक्र ऊपर किया है उनमें भीतर घुसकर देखने पर पता चलता है कि खाना पकाने के लिए स्त्रियाँ जंगल से लकडियाँ बीनकर ला रही हैं क्योंकि रसोई गैस इतनी महँगी हो गयी है कि उज्वला का सिलेंडर भरवाना उनके लिए संभव नहीं है ; रोजगार की आस में युवा या तो निठल्ले घरों में बैठे हैं या नाममात्र की मजूरी में 12-12 घंटे किसी ठेकेदार की अस्थायी नौकरी में खट रहे हैं, मगर इस सबके बाद भी गाँव को हिन्दू राष्ट्र बनाने में खुश हैं और चाय वाले मोदी के बाद गाय वाले योगी के आने की उम्मीद से तर बैठे हैं । खुद के जीवन की उलझनों से खीजे हुए हैं और उससे उपजी चिढ़ को रतलाम में 6, 9 और 11 साल के मासूम ब-च्चों को पीट पीटकर और उनसे जयश्रीराम बुलवाकर निकाल रहे हैं ; अपनी कुंठा को इस तरह बहला सहला रहे हैं । कवि धूमिल की उपमा में कहें तो एक आदमी पीट रहा है, दूसरा उसका वीडियो बना फोटू खींच रहा है, तीसरा आदमी इन्ही के पसीने और लहू से अपनी राजनीति की फसल सींच रहा है । ये तीसरा आदमी कौन है ? इस तीसरे की शिनाख्त करने का सलीका सिखाने के जरिये ही समाज को बाड़ों में बंद करने और सभ्यता के अब तक के हासिल को कुंद करने की साजिशों को विफल किया जा सकता है । ■

मजदूरों-किसानों का संयुक्त विरोध प्रदर्शनः सरकार को जनता की कड़ी चेतावनी

कार्पोरेट शोषण बंद करो – जनता की रोजी-रोटी की रक्षा करो

पी कृष्णाप्रसाद
(अखिल भारतीय वित्त सचिव, किसान सभा.)

अपनी रोजी-रोटी पर हो रहे हमले के खिलाफ अपने रोष का इजहार करने के लिए एवं एनडीए-तीन सरकार की कार्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए देशभर के मजदूर तथा किसान दृढ़निश्चय के साथ गत 26 नवंबर को एकजुट हुए । यह वर्ष 2020 में हुयी मजदूरों की आम हड़ताल तथा किसानों के ऐतिहासिक दिल्ली मार्च की चौथी सालगिरह थी, जिसने एनडीए-दो सरकार को कृषि का कार्पोरेटीकरण करने के लक्ष्य से बनाए गए तीन काले कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर कर दिया था । 26 नवंबर का दिन ही वह दिन भी है, जब वर्ष 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था । उपरोक्त किसान संघर्ष 13 महीने तक चला था और इस दौरान 736 किसान शहीद हुए थे ।

शुरूआती अनुमानों के अनुसार गत 26 नवंबर को देश भर में 26 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 500 जिलों में आयोजित उपरोक्त कार्रवाइयों में करीब दस लाख लोगों ने भाग लिया । इन कार्रवाइयों का आयोजन मुख्यतः जिला मुख्यालयों पर किया गया था । शहरी तथा ग्रामीण भारत और अनेक राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों में इस दिन जन प्रदर्शनों का आयोजन किया गया ।

बीमा, बैंक और टेलीकम्युनिकेशन आदि समेत सेवा क्षेत्र के मजदूरों की इन विरोध कार्रवाइयों में भागीदारी के साथ एकजुटता दिखाते हुए अनेक कार्यालयों में दोपहर के भोजन के वक्त प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था । अनेक स्थानों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयूज) और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेताओं ने भी इन कार्रवाइयों में भाग लिया । जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इस मौके पर ज्ञापन दिया गया ।

पुलिस ने बिहार के भागलपुर में बल प्रयोग किया और मजदूरों तथा किसानों पर उस वक्त लाठीचार्ज किया, जब वे डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस लाठीचार्ज में छः लोग घायल हुए। पुलिस ने तीन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने बिहार की जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार के मेहनतकशविरोधी चरित्र को बेनकाब कर दिया।

इस संयुक्त विरोध कार्रवाई का आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच, स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों तथा एसोसियशनों और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने संयुक्त रूप से किया था।

अन्य सामाजिक तबकों से भी अपील की गयी थी और अनेक स्थानों पर छात्रों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों तथा अन्य प्रोफेशनलों और कला, संस्कृति तथा साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी अपनी-अपनी मांगों के साथ तथा ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की मांगों के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए इन कार्रवाइयों में भाग लिया।

अनेक स्थानों पर छोटे तथा मध्यम व्यापारियों तथा छोटे उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने भी विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और अपनी जायज मांगें उठाते हुए प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया।

अपने प्रभाववाली बस्तियों में अनेक घटक संगठनों ने विरोध कार्रवाइयों का आयोजन किया, जिससे देशभर में व्यापक कार्रवाइयां आयोजित करना सुनिश्चित करने में मदद मिली।

योजना मजदूरों ने व्यापक रूप से इन कार्रवाइयों में भाग लिया। देश भर में इन विरोध कार्रवाइयों में महिलाओं की भागीदारी जबर्दस्त रही। पिछले कुछ वर्षों में एसकेएम तथा सीटीयूज ने संयुक्त तथा समन्वित कार्रवाइयों की जो श्रृंखलाएं आयोजित की, यह कार्रवाई उसी की अगली कड़ी थी और इसमें देश भर में सदस्य संगठनों के बीच समन्वय में काफी सुधार देखने में आया।

यह जन कार्रवाई शासक वर्गों तथा उनकी मुख्य राजनीतिक पार्टी

भाजपा के लिए इस बात की एक कड़ी चेतावनी थी कि जनता कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में कार्पोरेट प्रभुत्व थोपे जाने की इजाजत नहीं देगी और यह भी कि एनडीए-तीन सरकार, देश की आबादी के बहुमत का निर्माण करनेवाले दो उत्पादनकर्ता वर्गों-मजदूरों तथा किसानों-के बुनियादी तथा जायज अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती।

मजदूरों तथा किसानों के सबसे बड़े मंचों के नेतृत्व में निरंतर वर्गीय कार्रवाइयों के जरिए यह बढ़ती मुद्दा आधारित एकता देश में निर्णायक रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा की कमी, बदहाली के चलते होनेवाले पलायन, बेहद गंभीर कृषि संकट समेत मेहनतकश अवाम के ज्वलंत मुद्दों की अब मुख्यधारा की कोई भी राजनीतिक पाअीर् अनदेखी नहीं कर सकती। जीवनयापन से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर निरंतर आयोजित की जा रही यह कार्रवाइयां लोगों को जन आंदोलनों में शामिल होने के लिए आकर्षित कर रही हैं।

यह मुद्दे पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से थोपी जा रही नव-उदारवादी नीतियों का सीधा परिणाम हैं। पिछले एक दशक के दौरान एनडीए शासन द्वारा इन नीतियों का थोपा जाना और तेज हो गया है। उत्पादन की बढ़ती लागतों के बरक्स फसलों के लाभकारी दाम देने से इंकार और बढ़ती मुद्रास्फीति तथा बेलगाम महंगाई के बरक्स मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने तक से इंकार करने के रूप में किसानों तथा मजदूरों के जीवनयापन पर अमानवीय हमला जनसंघर्षों के लिए मुख्य मुद्दा बन गया है।

सघन कृषि सकंट और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर शहरों की तरफ हो रहे ग्रामीणों के पलायन ने विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में मजदूरों की दुर्दशा पर बड़ा भारी प्रभाव डाला है। इस तरह का बर्बर कार्पोरेटी हमला मजदूरों तथा किसानों के एक मजबूत गठबंधन की जरूरत को पैदा करता है ताकि पलटवार किया जा सके और मेहनतकश अवाम के लिए वैकल्पिक नीतियों के लिए समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। एनडीए सरकार 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम के साथ हुए लिखित समझौते को लागू करने से इंकार कर रही है और तमाम ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद चार श्रम संहिताओं को लागू करने की योजना बना रही है।

नीतिगत मांगों के साथ ही साथ मजदूरों तथा किसानों के घटक संगठनों ने जिला स्तर पर इन कार्रवाइयों के जरिए अनेक स्थानीय मांगें भी उठायी। इसने आम जनता के व्यापक तबकों को विरोध कार्रवाइयों में शामिल होने में मदद दी। एमएसपी, न्यूनतम वेतन, रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौम स्वास्थ्य रक्षा तथा शिक्षा संबंधी मांगों के अलावा इन कार्रवाइयों के केंद्र में वह 12 सूत्री मांग पत्र भी रहा, जिसकी प्रमुख मांगों में सांप्रदायिक विभाजन को रोकने और अल्पसंख्यकों, दलितों तथा आदिवासियों के खिलाफ हिंसा तथा भेदभाव खत्म करने और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग करना शामिल है।

हालांकि खेतमजदूर आंदोलन उन तमाम आह्वानों का हिस्सा रहा है, जो संयुक्त आह्वान अतीत में एसकेएम द्वारा किए गए हैं, लेकिन इस बार खेतमजदूर यूनियनें ट्रेड यूनियनों तथा किसान संगठनों के आह्वान का हिस्सा नहीं थी, फिर भी उन्हें इन कार्रवाइयों में शामिल करने के भारी प्रयास किए गए। इन प्रयासों का असर यह रहा कि ग्रामीण मजदूरों ने विरोध कार्रवाइयों में जमकर हिस्सा लिया।

सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन ने जमीनी स्तर पर इस एकता को और मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाए थे। देश के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अमीरों की धुरी के खिलाफ एकजुट संघर्षों को विकसित करने के प्रयास में गुणात्मक सुधार हुआ है और एक दीर्घकालिक मजदूर-किसान एकता का निर्माण हुआ है।

प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक सीटीयूज तथा एसकेएम के मंचों के घटक संगठनों के बीच अधिकतर राज्यों में राज्य तथा जिला स्तरों पर समन्वय स्थापित करने की कोशिशें की गयी। योजना यह थी कि गत 7 से 25 नवंबर तक तालुका तथा जिला स्तरों पर व्यापक अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें वाहन जत्था, साइकिल जत्था तथा पदयात्रा का आयोजन शामिल होगा और पर्चे बांटने के लिए घर-घर पंहुचा जाएगा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच एकता सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनतकश अवाम तक पंहुचने के लिए यह काम बेहद आवश्यक था। मजदूरों तथा किसानों की प्रमुख मांगों को उठाने के लिए पर्चो तथा अनेक पोस्टरों समेत पूरे अभियान की प्रचार सामग्री तैयार की गयी थी तथा उसका वितरण किया गया था और उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया था।

आनेवाले दिनों में करने के लिए प्रमुख काम यह होगा कि देश भर में गांवों, फैक्टरियों तथा कार्यस्थलों तक मजदूरों तथा किसानों की एकता को विकसित करने के लिए मजदूरों तथा किसानों के मंचों के बीच समन्वय सुधारना होगा। इससे कार्पोरेट प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष को तेज करने की खातिर और ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए मजदूर-किसान एकता का सशक्तिकरण होगा, जिससे उनके जायज हक हासिल किए जा सकेंगे, कृषि संकट को खत्म किया जा सकेगा और केंद्र सरकार तथा साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी ऐसी वैकल्पिक नीतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा, जिससे मेहनतकश अवाम कावि कास संभव हो पाएगा।

इस अभियान और इसमें भागीदारी की समीक्षा करने के लिए सीटीयूज तथा एसकेएम की जल्द ही बैठक होगी और मौजूदा सरकार की कार्पोरेटपस्त नीतियों में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए संघर्षों को और तेज करने की योजना बनायी जाएगी। ■

दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे।

जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है, देखेंगे ।।

दमन से लड़ता सरकार को चुनौती देता नोएडा किसान आंदोलन

मनोज कुमार
(केन्द्रीय किसान समिति सदस्य, किसान सभा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर (जिसका जाना पहचाना नाम नोएडा है) के किसान सड़कों पर है और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला जो की प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला है यहां तक की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रति व्यक्ति आय यहां से कम है आज के दिन उत्तर भारत की सबसे ऊंची गगन चुंबी इमारतें हैं, बड़े-बड़े मॉल, फिल्म सिटी सेंटर, एफ-1 मोटो रेस सर्किट, कार रेसिंग ग्राउंड, एयरपोर्ट, मेट्रो आदि बड़े महानगरीय ढांचे वाले इस जिले का शहरी क्षेत्र जिन गावों की जमीनों पर बसा है वहां के किसान अपनी अधिग्रहीत जमीनों के उचित मुआवजे वह अन्य जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर हैं पिछले कई सालों से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और लघभग पिछले दो वर्ष से एक तीखा आंदोलन चल रहा है। जिसे दबाने के लिए जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार हर तरह के नाजायज तरीकों का इस्तेमाल कर रहे है।

जिले व आंदोलन की पृष्ठभूमि

हालांकि गौतम बुद्ध नगर जिला 1997 में ही बना जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों के क्षेत्र से कुछ इलाकों को निकाल कर बनाया गया था और इसके तहत शहरी विकास के लिए तीन प्राधिकरण है जिले के अस्तित्व में आने से काफी पहले 1976 में ही दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के इलाके के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 17 अप्रैल 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 36 गांव को नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (नोएडा) के रूप में अधिसूचित किया था और जब नोएडा के आबाद होने बाद इससे आगे बढ़कर 1991 में ग्रेटर नोएडा का निर्माण किया गया तथा 2012 में यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ के इलाकों के विकास की योजना के तहत यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की भूमि आती है जिसमें अभी तक विकसित किया गया हिस्सा मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर जिले का ही है। आज के दिन नोएडा अथॉरिटी के तहत 80 गांव, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के तहत 124 गांव और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले के 131 गांव (6 जिलों के कुल 1242 गांव) आते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी और यूपीएसआईडीसी के लिए भी भूमि अधिग्रहित की गई है। इन सभी गांवों के किसानों से जब से भूमि अधिग्रहीत की गई है, वे उचित मुआवजे की मांग को लेकर लड़ रहे है और बहुत से गांवों में तो अधिग्रहण के समय ही हिंसात्मक घटनाएं घटी, जहां किसान और पुलिस कर्मियों की जान तक गई है। भट्टा-पारसौल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को तो हम सभी जानते ही हैं। इस क्षेत्र में जैसे-जैसे अधिग्रहण होता रहा किसानों का विरोध और आंदोलन भी लगातार जारी रहा। आज दशकों के बाद भी किसान अपना जायज लंबित मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी रखे हुए है।

आंदोलन के मुख्य मुद्दे

आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग है कि किसानों से अधिग्रहित की गई जमीनों का 10 प्रतिशत विकसित हिस्सा उन्हें वापस किया जाए। परंतु अभी तक तीनों में से एक भी प्राधिकरण ने पूरी 10 प्रतिशत भूमि नहीं दिया है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 5 प्रतिशत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 6 प्रतिशत और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत जमीन ही किसानों को लौटाई गई है तथा किसान बची हुई क्रमशः 5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत भूमि के लिए संघर्षरत हैं। इसके अलावा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करना ,आबादियों का निस्तारण किया जाने, भूमि का सर्किल रेट निरंतर बढ़ाया जाए एवं स्थानीय ग्रामीणों शहरीकरण के कारण जिनका रोजगार चला गया के लिए रोजगार की व्यवस्था की मांग की जा रही है। उनके यहां स्थापित हुई अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसरों में उनकी उपेक्षा न होना।

पिछले चरण में आंदोलन

2023 तक आंदोलन में कई बार लोगों को लामबंद कर कार्यवाहियां की गईऔ र आंदोलन को दबानेके लिए प्रशास न की कार्रवाई के बाद आंदो-

-लन ठराव आया । निरंतर आंदोलन के अभाव में प्रमुख मांगों के सम्बन्ध में कोई सकारात्मक उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई थी । अप्रैल 2023 में अखिल भारतीय किसान सभा ने गांवों में बैठकें करते हुए लंबे आंदोलन की पूरी तैयारी के साथ आंदोलन की शुरुआत की और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के सामने निरंतर धरना शुरू किया । शासन व प्रशासन की आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिशों के बावजूद भी वे कामयाब नहीं रहे । आंदोलन के नेताओं को धरना स्थल से गिरफ्तार किया गया, धरना स्थल खाली करवाने के प्रयास किए गए और यहां तक की झूठे आश्वासन देकर आंदोलन को बंद करने के प्रयास भी हुए, परंतु धरना 124 दिन चला और सरकार व प्रशासन के साथ कई दौर की बैठकों के बाद सरकार द्वारा 10% विकसित भूमि की मांग को लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाने, स्थानीय भूमिहीनों के लिए वेंडिंग जोन मे दुकानों में आरक्षण, सर्किल रेट बढ़ाने आदि का वादा किया गया ।

हाई पावर कमेटी जिसका वादा किया गया था उसके गठन के लिए भी किसानों को संघर्ष करना पड़ा । फरवरी 2024 में किसान सभा व किसान परिषद द्वारा दिल्ली मार्च का आह्वान किया गया, जिसमें दर्जनों किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद हजारों किसान मार्च के लिए पहुंचे । किसान आंदोलन के दबाव में सरकार को इस कमेटी का गठन करना पड़ा । इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा । इस के लिए, अक्टूबर 2024 में गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पर 9 दिन तक दिन-रात का धरना दिया गया । हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट भी, सबसे मुख्य मांग 10 प्रतिशत विकसित भूखंड किसानों को दिए जाने पर चुप थी ।

वर्तमान चरण में आंदोलन

किसान सभा सहित स्थानीय संगठनों जिसमें गौतम बुद्ध नगर जिले के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के प्रभावित अन्य जिलों के किसान संगठन भी थे ने साथ आकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर विशाल किसान महापंचायत की । इसके बाद 3 दिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापड़ाव रहा, तत्पश्चात 2 दिसंबर तक चार दिन यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण दफ़्तर पर महापड़ाव जारी रहा । 2 दिसंबर को दिल्ली मार्च का आह्वान किया गया । नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे हजारों किसान इकट्ठा हुए और पुलिस द्वारा खड़ी की हुई तमाम बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली के चिला बॉर्डर की ओर बढ़ते रहे और पुलिस द्वारा रोके जाने पर दलित प्रेरणा स्थल के सामने सड़क पर बैठ गए । किसानों से जब जिला प्रशासन ने सरकार से बातचीत करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा तो किसान सड़क छोड़ किनारे पर दलित प्रेरणा स्थल में बैठ गए और वहां अपना धरना शुरू किया पर अगले दिन 3 दिसंबर को प्रशासन द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात करके धरने से उठाकर महिलाओं सहित सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें से कुछ को छोड़ दिया गया, पर 123 को जेल में भेज दिया गया । 4 दिसंबर को किसानों द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे जीरो पॉइंट पर महापंचायत बुलाई गई । प्रशासन के किसानों को रोकने के पूरे प्रयास के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों के दबाव के चलते सरकार को गिरफ्तार किये गए किसानों को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा, पर उसी रात महापंचायत के फैसले अनुसार धरने पर बैठे 34 किसानों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिसंबर की सुबह इसके विरोध में किसान सभा वरिष्ट नेता वीर सिंह नगर के नेतृत्व दोबारा धरना स्थल पर जाते हुए सैकड़ों किसानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया । गांव में पुलिस द्वारा किसानों को गांव से ही नही निकलने दिया गया । किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर लिया गया । किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा को 6 दिसंबर को सड़क से गिरफ्तार किया गया और इससे पहले किसान सभा जिला सचिव जगबीर नंबरदार को भी सड़क से ही गिरफ्तार किया गया । किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा, जय जवान जय किसान मोर्चा के नेता सुनील फौजी आदि सहित अन्य किसान नेताओं को भी जेल भेजा गया ।

भारी दमन का प्रतिरोध

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऐसे अलोकतांत्रिक, तानाशाहीपूर्ण कदम भी किसानों का हौसला नहीं तोड़ पाए । 5,6 व 7 दिसंबर को जेल भरो के आह्वान पर सैकड़ों किसान जेल जाने के लिए पहुंचे । योगी सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए, रातों को घरों में पुलिस भेजी गई, घरों में जा कर किसानों व उनके परिवारजनों को धमकियां दी गई । किसान नेताओं को लगातार नजरबंद रखा गया। इन सबके बावजूद किसानों ने अपनी विरोध की आवाज को दबने नहीं दिया । बेशर्मी की सारी हदें पार कर योगी सरकार द्वारा कैद किए गए मुख्य किसान नेताओं को तनहाई में रखा जा रहा है और परिवार जनों और वकीलों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनके नागरिक अधिकारों का हनन है । 9 दिसम्बर को किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद अमराराम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को मिला और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई । 12 दिसंबर को किसान सभा ,सीटू, जनवादी महिला समिति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया । इस प्रदर्शन को भी पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया । प्रदेश सरकार के असंवैधानिक, जनतंत्र-विरोधी, मानवता-विरोधी, गैरकानूनी कदमों की सभी ओर से निंदा की गई । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आजाद समाज पार्टी   का प्रतिनिधिमंडल भी जिलाधिकारी से मिला और इस दमन का विरोध किया व किसानों की मांगों को समर्थन दिया । सरकार द्वारा आंदोलन कुचलने के सारे प्रयासों के बावजूद किसान आंदोलन में डटे हुए हैं और जो योगी सरकार को साफ कह रहे हैं : **दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है, देखेंगे।।** ■

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग का आदेश वापस लो

पी. षणमुगम
(अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, किसान सभा)

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग का आदेश :

पर्यावरण एवं वन्यजीवों की रक्षा के नाम पर शासक जंगलों में रहने वाले आदिवासियों, वनवासियों और किसानों के खिलाफ तरह-तरह के आदेश जारी कर रहे हैं । हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग (एनटीसीसी) के 27.5.2024 और 19.6.2024 के पत्रों ने पहाड़ों और जंगलों पर निर्भर किसानों के बीच चौंकाने वाली भयानक पैदा कर दी है । जिला कलेक्टरों के माध्यम से पहले पत्र में राज्य सरकार से बाघ अभयारण्यों में "कब्जाधारियों" को बेदखल करने और पुनर्वास के लिए एक खाका तैयार करने को कहा गया है । दूसरे पत्र में पुनर्वास कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है ।

प्रभावित परिवार

देश भर में बाघ अभयारण्यों के अंदरूनी इलाकों में 848 गांवों से बेदखल करने के लिए, राज्य अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में आदिवासी और कृषक समुदायों से जुड़े 89,808 परिवारों की पहचान की गई है । उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार, 5 लाख लोगो को वन अधिकारियों द्वारा बेदखली की धमकी दी जा रही हैं । सरकारी तंत्र की लगातार धमकियों के कारण अब तक 89808 में से 25,007 परिवारों को बेदखल कर 257 गांवों में सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया जा चुका है ।

बेदखली का पहला चरण पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग राज्य सरकार से शेष 591 गांवों से 64,801 परिवारों को तत्काल खाली कराने को कह रहा है । तमिलनाडु के थिरुनेलवेली जिले के मंजोलाई एस्टेट के मामले में, जहां कृषक समुदाय वहां 1925 से रह रहा है । अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राजस्व दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने के बाद, वन विभाग ने अचानक सूचित किया कि एस्टेट कलक्कडु-मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व में आता है । लगभग 100 वर्षों से वहां रह रहे लोगों को बेदखल करना वन अधिकार कानून, 2006 का साफ उलंघन है । जंगलो व पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगो के सभी अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित किये जाने की जरुरत है । कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "यदि वन्यजीव और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो सरकार वहा रहने वाले लोगो की सहमति के बिना मनमाने ढंग से उन्हें बेदखल नहीं कर सकती । इसी तरह, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38/बी में भी कहा गया है कि बेदखली केवल लोगों की सहमति से ही की जा सकती है । इसलिए, मोदी सरकार की इस तरह की कार्रवाई न केवल लोगों के, बल्कि कानून के भी खिलाफ है ।

भारत में अभयारण्य

पूरे भारत में 55 अभयारण्य हैं । तमिलनाडु में पाँच अभयारण्य हैं: मुदुमलाई बाघ अभयारण्य, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य, मेघमलाई बाघ अभयारण्य और सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य । राष्ट्रीय बाघ संरक्षण समिति ने इन अभयारण्यों में 306 बाघों की पहचान की है । सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य में सिर्फ़ सात बाघ हैं ।

न्यायिक आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने 29.10.2028, कोतमिलनाडु के थेनी जिले के मेघमलाई में काश्तकार भूमिधारकों सहित, 81 गाँवों से लगभग 4580 परिवारों को बेदखल करने का आदेश दिया । कई दशकों से रह रहे आदिवासियों और किसानों को बेदखल करना अराजकतापूर्ण रवैया है । तमिलनाडु राज्य सरकार ने अदालत के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है क्योंकि कृषक समुदाय ने अपने नेताओं पी. षणमुगम (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), टी. कन्नन (राज्य उपाध्यक्ष) के नेतृत्व में किसान सभा के बैनर तले इसके खिलाफ आवाज उठाई है । इस संबंध में, तमिलनाडु किसान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पी. षणमुगम के नेतृत्व में 17.6.2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिला और उन से आग्रह किया कि सरकार मदुरै बेंच उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करे । हालाँकि, यह चिंताजनक है और ध्यान दिया जाना चाहिए कि तमिलनाडु सरकार ने अभी तक अपील नहीं की है ।

शासकों की लापरवाही

2006 के अधिनियम में पट्टे देकर स्वामित्व के दस्तावेज जारी करने के कई प्रावधानों के बावजूद, राजस्व अधिकारियों ने लापरवाही करते हुए देरी की । इसलिए, पट्टे की मांग करने वाले लाभार्थियों द्वारा दी गई याचिकाओं का ढेर राजस्व कार्यालयों में पहाड़ बन चूका हैं । भूमि पट्टों के लिए याचिकाओं पर कार्रवाई में लापरवाही समस्या को और बढ़ा देती है । शासक वर्गों की कछुए की गति से प्रतिक्रिया ने संकट को और बढ़ा दिया है । जहाँ एक ओर लोगों ने अपनी आजीविका खो दी है दूसरी तरफ उन्हें अपनी ज़मीन भी छोड़नी पड़ रही है ।

क्या जंगल कॉरपोरेट के लिए हैं ?

वन अधिकार कानून 2006, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जंगल के मालिक रहने वाले लोग हैं । दुर्भाग्य से, बाघ और हाथी संरक्षणवादियों का तर्क है कि जंगल वन्यजीवों का हैं । चौंकाने वाली बात यह है कि भ-
-विष्य में जंगल के पारंपरिक निवासियों को बेदखल करके कॉरपोरेट घरानों को सौंप दिया जाएगा । इको-टूरिज्म के नाम पर एक कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसे लागू किया जा रहा है । "आदिवासी भगाओ! कॉरपोरेट बुलाओ" शासकों का नारा बन गया है !

यह कॉरपोरेट वन कंपनियों द्वारा व्यापक शोषण का मार्ग प्रशस्त करने की मोदी सरकार की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है । इस संदर्भ में, मोदी की पिछली सरकारों के दौरान, 29 मार्च 2023 को संसद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था । कानून पारित होने के बाद, 4 अगस्त को केंद्र सरकार के राजपत्र में "वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023" प्रकाशित किया गया । इस संसोधित अधिनियम में, निजी कंपनियों को वन संसाधनों के दोहन के लिए हरी झंडी दी गई है । 2023 के संशोधनों से सरकार ने कॉरपोरेट्स को भारत की मौजूदा 7.91 करोड़ मिलियन हेक्टेयर वन भूमि में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रास्ता खोल दिया है । इन्हें आसानी से जैव विविधता क्षेत्रों के बजाय निजी केंद्रों में परिवर्तित किया जा सकता है । यह स्पष्ट है कि शासकों को जानवरों के प्रति कोई दया नहीं है, बल्कि उनका असली मकसद जंगलों से कॉरपोरेट घरानों के लिए आय उत्पन्न करना है । इसे सीधे कहने के बजाय, वे यह दिखा रहे हैं कि यह बाघ अभयारण्यों के लिए है । सरकारों को यह समझना चाहिए कि वन संसाधनों का संरक्षण केवल लोगों की भागीदारी और उनकी पारंपरिक मिट्टी में उनके अस्तित्व के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, न कि इन निवासियों को बाहर निकालने के माध्यम से ।

कौन जंगलों को नष्ट कर रहा है ?

शहरीकृत सभ्यता और औद्योगीकरण, सामान्य रूप से, जंगलों के विनाश को बढ़ा रहे हैं । कार्ल मार्क्स ने कहा था कि "जंगलों की रक्षा और उन्हें पैदा करने के लिए किए उठाये गए कदम तुलनात्मक रूप से बहुत कम हैं" । लगभग 160 साल बाद भी शासक वर्ग प्रकृति के प्रति उसी दृष्टिकोण पर काम कर रहा है और राज्य व केंद्र सरकारें वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही हैं, जिसके लिए लोग लंबे समय से वकालत और संघर्ष कर रहे हैं । इसके विपरीत, कई प्रतिकूल पहल की गईं और इस अधिनियम को पंगु बनाने के आदेश जारी किए गए । जंगलों पर निर्भर लोगों को बेदखल करना मछली को पानी से बाहर फेंकने जैसा है । आजीविका के नुकसान और उनके पर्यावरण में परिवर्तन के कारण लोग विलुप्त होने की ओर धकेले जाएंगे ।

निष्कासन समाधान नहीं है :

यह एक तथ्य है किव न्यजीव-मनुष्य संघर्ष कई घातक हताहतों का

कारण बनता है । 25 जुलाई 2024 को पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री ने वन्यजीव हमलों के कारण मानव हताहतों पर कुछ विवरण संसद में पेश किए । वर्ष 2019-20 में 49 लोगो की मौत हुई ; वर्ष 2020-21 में 59, वर्ष 2021-22 में 110 और वर्ष 2022-23 में 82 लोग मारे गए, साथ ही इसी अवधि में 628 बाघों की मौत हुई । वन्यजीव-मनुष्य संघर्ष को दुर्घटना के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके लिए लोगों का पूरी तरहा निष्कासन अस्वीकार्य है । सड़क दुर्घटनाओं में हर साल इससे कई गुना अधिक लोग मारे जाते हैं । तो क्या हम वाहनों से आने-जाने पर रोक लगा सकते हैं ? या यह आदेश दिया जा सकता है कि कोई भी इंसान सड़कों पर न चले ? जीवन रक्षा महत्वपूर्ण है ; जब उससे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, तो विकल्प और उपाय, मुआवजा प्रदान करना और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना जरुरी है , पर बेदखली नहीं ।

विनाशकारी आदेश वापस लें

इसी लिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग को अपना आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए । राज्य सरकारों को मोदी राज के सामने मजबूर होकर झुकने की जगह, अपने नागरिको और उन की आजीविका की रक्षा के लिए उन्हें पट्टे देकर स्थायी समाधान करना चाहिए । इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि वन्यजीवों की रक्षा की जानी चाहिए; पर साथ ही, जंगलों में रहने वाले लोगों को बेदखल करना भी अस्वीकार्य है । इस संदर्भ में 25 सितंबर 2024 को अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत के कोने-कोने से सैकड़ों किसान शामिल हुए ।

➡ आदिवासियों और वनवासियों के बिना वनों के विकास का कोई इतिहास नहीं है ।

➡ वनवासियों की अनुपस्थिति में जैव विविधता की सुरक्षा संभव नहीं है ।

➡ हम वनों की रक्षा वहा के पारंपरिक लोगों की उपस्थिति से करेंगे । ■

पंजाब राज्य कृषि नीति का मसौदा 2024 : कॉर्पोरेट की भूमिका की अनदेखी, योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान का अभाव

डॉ बलविंदर सिंह तिवाना
(अर्थशात्री)

पंजाब राज्य कृषि नीति 2023/2024 का मसौदा सामने आ गया है। इसे लाने की जल्दी किसानों के बड़े आंदोलन के परिणामस्वरूप देखी जा सकती है। यह लगातार तीसरा मसौदा है। पहला मसौदा 2013 में व दूसरा 2018 में सामने आया था। तीनों मसौदों में कई चीजें समान हैं, लेकिन इस नए मसौदे में कुछ सिफारिशें और सुझाव अलग हैं। हम केवल मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।

फसलों, पशुधन, मशीनरी आदि से सम्बंधित 13 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है। प्रत्येक केंद्र के लिए बजट अनुमान 12 करोड़ रुपये सुझाया गया है, लेकिन बजट में इसे शामिल नहीं किया गया है। पहले से चल रहे केंद्रों की भी कोई समीक्षा नहीं की गई है। सभी शोध गतिविधियां और प्रशासनिक कार्य पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना और गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जीएडीवीएएसयू), लुधियाना के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। 20 सदस्यीय शासी निकाय की सिफारिश की गई है, जिसके अध्यक्ष पीएयू के उपकुलपति होंगे, जो वर्तमान समय में अधिकांशतः एक राजनीतिक नियुक्ति होते हैं। इस शासी निकाय में किसानों और खेत मजदूरों के संगठनों के प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस संस्था की संरचना अत्यधिक नौकरशाही प्रवत्ति की है।

एमएसपी (सी2+50%) की कानूनी गारंटी प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। तथा नीति में 'राज्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है। बल्कि सुझाव तो यह भी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार से चर्चा की जाए। इसलिए, एमएसपी प्रदान करने के तरीकों और साधनों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। एक अन्य सुझाव 1000 करोड़ रुपये का 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' स्थापित करने का है, जिसमें 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार योगदान दे। लेकिन जब तक केंद्र सरकार सहमती नहीं देती, जिसकी बहुत कम संभावना है, इस सुझाव पर कुछ नहीं हो सकता।

एक अन्य सिफारिश पट्टेदारी कानूनों में सुधार से संबंधित है। पट्टे पर दी गई जमीन के लिए मौखिक समझौतों का मुद्दा उठाया गया है। लेकिन इसमें सुधारों के लिए एकमात्र चिंता का विषय काश्तकारों का पंजीकरण है। पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा 2000 से 2010 तक किसानों और खेत मजदूरों द्वारा आत्महत्याओं के अध्ययन में (जिसमें यह लेखक भी एक सदस्य था) यह पाया गया कि किसानों के कर्ज एवं आत्महत्याओं का एक मुख्य कारण पट्टे पर दी गई जमीन है। जब फसल खराब होती है/फसल का नुकसान होता है, तो सारा बोझ पट्टे पर दी गई जमीन पर खेती करने वाले किसान पर पड़ता है, न कि जमीन के मालिक पर, जो अपनी जमीन पट्टे पर देता है। मालिक किसान से सारा किराया लेता है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में खेती बहुत महंगी है, अगर फसल खराब होने पर सारा बोझ किसान (जो पट्टे की जमीन पर खेती कर रहा है) को उठाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वह संकट/कर्ज के जाल में फंस जाएगा। हमें बटाई से उत्पादन संबंधों में बदलाव की जांच करनी होगी। अगर फसल खराब हो गई है तो, उसका नुकसान या लागत जमीन मालिक और किसान दोनों को वहन करनी चाहिए।

इसलिए, ऐसा कानून होना चाहिए जिसके अनुसार अगर फसल बर्बाद हो जाती है या फसल को नुकसान पहुचता है तो जमीन का मालिक और पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाला किसान दोनों मिलकर नुकसान का वहन करें। दूसरी बात, वर्तमान में पट्टे पर दी गई जमीन के किराए की अधिकतम दर सकल उपज के 60 से 70 प्रतिशत के बीच है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसान के पास क्या बचता है। यह खुला शोषण है और एमएसपी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है क्योंकि अगर एमएसपी में वृद्धि होती है तो तुरंत किराए में भी वृद्धि होती है। जो एमएसपी के माध्यम से होने वाली मौद्रिक वृद्धि के लगभग बराबर होती है।

यह मसौदा भूमि सुधारों एवं भूमि स्वामित्व और अधिग्रहण कानूनों में बदलाव के माध्यम से किसानों पर कॉर्पोरेट क्षेत्र के हमले के बारे में बिलकुल चुप है। वैश्विक वित्त पूंजी लगातार भारती सरकार पर और भारती सरकार राज्य सरकारों पर कॉर्पोरेटो के पक्ष में भूमि स्वामित्व कानूनों में बदलाव लाने के लिए दबाव डाल रही है। यह वर्तमान और आने वाले दिनों में किसानों तथा कृषि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस प्रकार की सरकारी नीतियों के खतरों के बारे में कृषि नीति का यह मसौदा पूरी तरह से चुप है।

पंजाब में जल संकट के मद्देनजर, यह मसौदा फसल विविधीकरण के बारे में कुछ सुझाव दे रहा है, ताकि धान की खेती का रकबा कम किया जा सके। 1990 के दशक से विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस फसल विविधीकरण के का-

-रण किसानों की आय में होने वाली कमी की भरपाई कैसे की जाए, इस बारे में मसौदे में कोई सिफारिश नहीं है । 2002 की जोहल रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि चावल और गेहूं की खेती न करने पर सहमत होने वाले किसानों को 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर (वर्ष 2002 में 5,000 रुपए प्रति एकड़) दिए जाने चाहिए (हम जोहल रिपोर्ट में दिए गए कई सुझावों और विचारों से सहमत नहीं हैं) । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण फसल विविधीकरण से किसानों की आय में कमी आएगी और जैविक खेती के मामले में भी कई समस्याएं हो सकती हैं । इस आय हानि की भरपाई और समस्याओं से निपटने के लिए ठोस सिफारिशें होनी चाहिए ।

रिपोर्ट में पानी से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न तरीके सुझाए गए हैं, जैसे नई तकनीक अपनाना और पानी बचाना । इस तरह के मुद्दों को पहले ही विभिन्न रिपोर्टों और प्रकाशनों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा जा चुका है । लेकिन आज तक कोई व्यावहारिक और संभव समाधान नहीं मिल पाया है । यह मसौदा प्रति वर्ष 4 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचाने का आदर्शवादी लक्ष्य तय करता है, जो शुरू से ही व्यावहारिक नहीं लगता । कई देशों के अनुभव की तरह बड़ी मानव निर्मित झीलों का कोई सुझाव नहीं है ।

इस मसौदे में बिजली का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन मसौदे में सभी किसानों को एक ही टोकरी में रखा गया है । इस नीति या मुफ्त 330 यूनिट की नीति का कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है । छोटे, सीमांत किसानों और बड़े किसानों के पास मौजूद कृषि बिजली कनेक्शन दिखाने वाला कोई श्रेणीवार विश्लेषण नहीं है । पीएसपीसीएल के पास डेटा उपलब्ध हैं, परन्तु इसे नजरअंदाज कर दिया गया है । डेटा दिखा सकता है कि बड़े किसानों की तुलना में छोटे और सीमांत किसानों को कितनी सब्सिडी मिल रही है । यह नीति मसौदा पानी की गुणवत्ता के बारे में भी बात करता है जो एक अच्छी बात है, लेकिन विशेष रूप से नदियों के जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या नहीं करता । नदी के पानी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है, जबके इस मुद्दे को कई बार लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से उठाया जाता रहा है । सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अनुपस्थिति के कारण यह पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है । इस रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक्स और पेय पदार्थों जैसे अत्यधिक पानी की खपत करने वाले उद्योगों का भी उल्लेख नहीं किया गया है । पर्यावरण संकट का मुख्य दोषी कॉर्पोरेट की मुनाफे और धन की हवस है, जो अतृप्त है ।

यह मसौदा छात्रों से ली जाने वाली उच्च फीस के साथ-साथ कृषि अनुसंधान और शिक्षा के मुद्दे को भी उजागर करता है तथा इस उद्देश्य के लिए इसमें उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि के लिए बजट आवंटन को बढ़ाया जाए । लेकिन यह सुझाव केवल कृषि शिक्षा के लिए है, जबकि सभी सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति देखते यह मुद्दा बहुत गंभीर है । पंजाब के 66 प्रतिशत छात्र निजी संस्थानों में पढ़ रहे हैं और छात्रों व शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है । कई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में 50 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं । वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का केवल 0.59 प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है । रिक्तियों को भरने और कुछ बुनियादी ढांचे के लिए, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की अनदेखी करते हुए केवल पीएयू एवं जीएडीवीएएसयू का मुद्दा उठाया गया है । 1991 की नई आर्थिक नीतियों के कारण उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों की वित्तीय, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन मसौदा इन नीतियों की आलोचना नहीं करता है ।

पंजाब के किसानों और खेत मजदूरों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का उल्लेख किया गया है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है । लेकिन पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के अध्ययनों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है । किसानों और खेत मजदूरों के लिए यह एक सकारात्मक सिफारिश है कि कर्ज के कारण किसी किसान खेत मजदूर द्वारा आत्महत्या किए जाने की स्थिति में 10 लाख रुपये का मुआवजा, पीड़ित के निकटतम परिजन को सरकारी नौकरी, परिवार पर सभी संस्थागत ऋण की माफ़ी और परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए । लेकिन इस योजना के बजट अनुमान और समयबद्ध कार्यान्वयन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यह भी एक अच्छा सुझाव है कि कृषि कार्यों के दौरान होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान और खेत मजदूर को 5 लाख रुपये दिए जाए और यदि इस प्रकार की दुर्घटना के कारण विकलांगता होती है तो विकलांगता के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए । खेत मजदूरों के संबंध में सुझाव यह है कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों को 100 दिनों से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए, लेकिन वर्तमान में औसतन केवल 38 दिन का काम दिया जा रहा है । 100 दिन काम सुनिश्चित करने का कोई सुझाव नहीं है । और मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है । इसके अलावा, मनरेगा के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

खेत मजदूरों के मामले में, इस नीति मसौदे में सुझाव दिया गया है कि पंचायती भूमि का 1/3 हिस्सा खेती के लिए खेत मजदूरों को दिया जाए, लेकिन यह सहकारी समितियों के माध्यम से एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत होना चाहिए । यह शर्त केवल खेत मजदूरों पर लगाई गई है, न कि उन अन्य लोगों पर जो पंचायती भूमि पर खेती कर रहे हैं । इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पंजाब में पहले से ही एक कानून लागू है जिसके तहत पंचायती भूमि का 1/3 हिस्सा खेत मजदूरों को दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे विभिन्न बहाने बनाक-

-र लागू नहीं किया जा रहा है। कई गांवों में, खेत मजदूर यूनियनों ने इस मुद्दे को प्रबल और कभी-कभी जुझारू संघर्षों के माध्यम से उठाया है।

सीमांत और छोटे किसानों और खेत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पार करने पर पेंशन के भुगतान के संबंध में किसान सभा, अ.भ.खेत मजदूर यूनियन और अन्य द्वारा की गई मांग के आधार पर एक और सिफारिश दी गई है। लेकिन इस मसौदे में इस बात पर कुछ नहीं कहा गया है कि कितनी पेंशन दी जाए, जबकि उपरोक्त संगठनों ने 10,000 रुपए प्रतिमाह की मांग की है। इस पेंशन प्रावधान को लागू करने के लिए इस कृषि नीति के मसौदे में कोई समय-सीमा नहीं दी गई है।

किसानों द्वारा साहूकारों और आढ़तियों से उधार लेने के संबंध में इस मसौदे में केवल इन ऋण प्रदाताओं के पंजीकरण और पासबुक के प्रावधान का सुझाव दिया गया है। वह अधिकतम कितना ब्याज ले सकते हैं, इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है। इस संबंध में केरल ऋण आयोग के मामले का उल्लेख भी नहीं किया गया है। यह सिफारिश की गई है कि 5 एकड़ तक की भूमि पर खेती करने वाले किसानों और खेत मजदूरों के संस्थागत ऋण को माफ किया जाए, लेकिन 2017-18 के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा की गई ऋण माफी की सफलता या विफलता पर कोई चर्चा नहीं की गई है। वह विफल क्यों हुई ? इस पर मसौदे में कोई नीति सुझाई नहीं गई।

फसल की विफलता/नुकसान के मामले में सुझाया गया है कि राज्य की अपनी फसल बीमा नीति शुरू की जाए और इसके लिए खरीदी गई फसल के मूल्य का 0.1% एकत्र किया जाए तथा इस राशि का दोगुना राज्य सरकार द्वारा योगदान दिया जाए। इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से मदद की सिफारिश की गई है। जाहिर है कि इसका क्या नतीजा होगा।

पूरी रिपोर्ट में पंचायतों की भूमिका पर जोर देना तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। कृषि समस्याओं/कृषि संकट को हल करने के लिए पूरी निर्भरता सहकारी समितियों और प्रगतिशील किसान समितियों पर है। पंजाब में सहकारी समितियां सरकारी हस्तक्षेप और लापरवाही के कारण या तो बंद हैं या वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं।

अंत में यह कहना होगा कि यह मसौदा कृषि पर विश्व व्यापार संगठन और कॉरपोरेट के प्रभाव को नज़रंदाज़ करता है एवं किसानों तथा खेत मजदूरों के समक्ष विभिन्न गंभीर चुनौतियों की अनदेखी करता है। यह मसौदा पंजाब से बेरोजगारी और अंतरराष्ट्रीय पलायन के मुद्दे को भी नहीं उठाता। विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई बजट अनुमान नहीं है। संसाधन जुटाने के लिए अति-अमीर लोगों पर कर लगाने की सिफारिश गायब है।

यह मसौदा किसानों और खेत मजदूरों को राहत देने के लिएत त्का-

-ल उपाय नहीं सुझाता। नीति को लागू करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना एवं साल-दर-साल उठाए जाने वाले कदमों का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। यह नीति, जैसी है या संशोधनों के बाद, किसानों और खेत मजदूर यूनियनों के दबाव व संघर्ष के बिना राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं की जाएगी। इसलिए, इसकी सभी कमियों के बावजूद, इस नीति मसौदे की कुछ किसान और खेत मजदूर पक्षीय सिफारिशों को लागू करवाने के लिए, किसान यूनियनों को एक और बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। ■

दक्षिण भारतीय राज्यों के एस. के. एम. अधिवेशन में संघर्षों को तेज करने का आह्वान

टीगला सागर
(अखिल भारतीय संयुक्त सचिव, किसान सभा)

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का दक्षिण भारतीय राज्यों का सम्मेलन 7 और 8 अक्टूबर, 2024 को कर्नाटक के बंगलूरू स्थित गांधी भवन में उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। अधिवेशन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से 300 से अ--धिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दो दिवसीय अधिवेशन में वर्तमान राजनीतिक स्थिति, केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही कृषि नीतियों, किसानों पर इसके प्रभाव और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। विभिन्न राज्यों में एसकेएम को संगठित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पहले सत्र में संयुक्त होराता कर्नाटक के कर्नाटक राज्य संयोजक जी.सी.बय्या रेड्डी द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया। एसकेएम राष्ट्रीय सचिवमंडल के सदस्य दर्शन पाल और सुनीलम ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य रखा।

दूसरे सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव विजू कृष्णन ने बताया कि एसकेएम के नेतृत्व में मिली ऐतिहासिक जीत ने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों को प्रेरित किया है। यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में किसानों द्वारा किए गए विभिन्न विरोध प्रदर्शन भी भारत में मेहनतकश जनता के संघर्ष से प्रेरित थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का दावा है कि किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा तक सीमित था, जो कि आंदोलन के राष्ट्रव्यापी प्रसार से गलत साबित हुआ, जिसकी झलक अधिवेशन में भी देखी जा सकती है। एसकेएम-जेपीसीटीयू ने विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ संसदीय चुनावों में किसान-विरोधी, मजदूर-विरोधी भाजपा की हार का आह्वान किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद में भाजपा की घटी 159 सीटों में से अधिकतर मुख्य रूप से ग्रामीण सीटें रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से विरोध के बावजूद भाजपानीत केंद्र सरकार ने अपना रुख नहीं बदला है। आगे उन्होंने कहा कि मंदसौर में हुए गोली कांड में छह किसानों की मौत के लिए जि-

-मेदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में मजदूरों और खेत मजदूर यूनियनों को शामिल करते हुए एक मजबूत आंदोलन बनाने और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ अपने-अपने राज्यों में किसानों की समस्याओं पर एकजुट संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने दक्षिणी राज्यों के किसानों से 26 नवंबर को होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। तेलंगाना राज्य से टी. सागर, केरल से ओमल्लूर शंकरन, तमिलनाडु से के. बालाकृष्णन, कर्नाटक से बदागलपुरा नागेंद्र और आंध्र प्रदेश से केशव राव ने अपने-अपने राज्यों में आंदोलन की स्थिति के बारे में अधिवेशन में जानकारी दी।

राज्यों से प्रत्येक संगठन के एक-एक सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय समन्वय समिति के विचारार्थ विभिन्न संगठनों से लगभग 68 सुझाव प्राप्त हुए। समापन सत्र में एसकेएम के राष्ट्रीय सचिवमंडल के सदस्य पी. कृष्णप्रसाद ने सभी से आह्वान किया कि वे बिना किसी भेदभाव के छोटे-बड़े संगठनों को साथ लाकर देशभर में एकजुट आंदोलन खड़ा करें। उन्होंने विश्वाश जताया कि एकजुट आंदोलन खड़ा करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। अधिवेशन में ई.पी. जयराजन, वलसन पनोली, टी. यशवंत, नूर श्रीधर, पेरुमल, सूर्यनारायण, वड्डे शोभनदेश्वर राव, वेमुलापल्ली वेंकटरमैया, पश्य पद्मा आदि ने भाग लिया।

भावी गतिविधियां :

- एस. के. एम. के राज्य अधिवेशन जल्द से जल्द आयोजित किए जाएं।
- एस. के. एम. के घटक दलों को खेत मजदूर यूनियनों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए और उनकी मुख्य मांगों को उठाकर उन्हें आन्दोलन शामिल करना चाहिए।
- सी2+50 प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा एमएसपी पर फसलों की गारंटीशुदा खरीद, सभी पात्र किसानों की कर्ज माफी, बिजली संशोधन विधेयक की वापसी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से फसल बीमा, किसानों के लिए पेंशन, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का व्यापक कार्यान्वयन जैसी मुख्य मांगों के साथ-साथ संबंधित राज्यों की मांगों को जोड़कर संयुक्त आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए।
- 26 नवंबर, 2024 को जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन में किसानों और अन्य वर्गों की बड़ी लामबंदी।

प्रस्ताव :

विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 का उल्लंघन कर जबरन भूमि अधिग्रहण बंद किया जाए। वन अधिकार अधिनियम, 2006 का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए। किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल कर राज्य स्तर पर भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया जाए, ताकि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार सी2+50 प्रतिशत पर एमएसपी लागू किया जा सके। पीडीएस, आईसीडीएस एवं अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित अनाज की खरीद सीधे किसानों से की जाए। राज्यों में भूमि सुधार अधिनियमों में किए गए बदलाव एवं भूमि सीमा में कमी को हटाया जाए तथा कॉरपोरेट को कृषि भूमि पट्टे पर देने की सिफारिशें वापस ली जाएं। अनाज मंडियों को मजबूत करने के साथ-साथ राज्यों द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले मंडी कर एवं उपकर को रोका जाए। निजी साहूकारों एवं माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के द्वार किया जा रहा शोषण बंद किया जाए। गरीब किसानों, भूमिहीन काश्तकारों एवं खेत मजदूरों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए।

फिलिस्तीन पर विशेष प्रस्ताव :

बैठक में इजरायल सरकार द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे अमानवीय हमलों की कड़ी निंदा की गई। कट्टरपंथी यहूदी इजरायली सरकार महिलाओं और बच्चों सहित हज़ारों लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों पर भी बमबारी की है और मानवीय सहायता, भोजन और दवाइयों की आपूर्ति की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। अधिवेशन ने युद्ध को तुरंत समाप्त करने और स्थायी युद्धविराम की मांग की। इसने मांग की कि भारत सरकार इजरायल के साथ हथियार आपूर्ति और व्यापार समझौतों को निलंबित करे। कन्वेंशन के हज़ारों भारतीय मजदूरों को इजरायल भेजने का भी विरोध किया गया। इसने सभी इजरायली उत्पादों के बहिष्कार और फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। ■

किसान सभा व खेत मज़दूर यूनियन का संसद पर धरना

जंगली जानवरों व आवारा पशुओं की मुसीबत से किसानों को बचाओ
हाथियों के गलियारों व बाघ अभ्यारण्यों के नाम पर बेदखली बंद करो
पशु व्यापार पर प्रतिबंध हटाया जाए

किसान सभा केंद्रति

अखिल भारतीय किसान सभा व अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन द्वारा, 'जंगली जानवरों व आवारा पशुओं की मुसीबत से किसानों को बचाओं' तथा 'हाथियों के गलियारों व टाईगर रिजर्व्स के नाम पर बेदखली बंद करो' के नारों के साथ 25 सितंबर, 2024 संसद मार्ग, नई दिल्ली में धरना दिया गया। धरने में केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना यूपी, दिल्ली और अन्य राज्यों के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया।

किसान सभा महासचिव विजू कृष्णन ने धरने का उद्घाटन किया और किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले, खेत मज़दूर यूनियनमहासचिव बी वेंकट, खेत मज़दूर यूनियन संयुक्त सचिव व राज्यसभा सदस्य वी शिवदासन, तमिलनाडु किसान सभा के उपाध्यक्ष व लोकसभा सांसद आर सचिदनाथम धरने के मुख्य वक्ता थे। किसान सभा के उपाध्यक्ष हन्नान मौल्ला, वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद, केरल कार्शका संघम के सचिव व किसान सभा के संयुक्त सचिव वलसन पनोली और विभिन्न राज्यों के नेताओं ने धरने को संबोधित किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आने वाले दिनों में एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर सहमति व्यक्त की।

जंगली जानवरों की मुसीबत से जान-माल की हानि

जंगली जानवर लगातार एक ऐसा खतरा बनते जा रहे हैं जिसे किसान नजरंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही टाईगर रिजर्व्स, एलीफेंट कॉरीडोर्स, नेशनल वन्यजीव सेंक्च्यूरीज आदि के नाम पर बड़े पैमाने पर बेदखली की जा रही है जिसमें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) का पूरी तरह उलंघन हो रहा है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय द्वारा एक आर टी आई के जवाब में बताया गया है कि वर्ष 2017 से लेकर अगले पांच वर्षों में मानव-वन्यजीव टकराव के चलते झारखंड में 462 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 133 तो पिछले एक वर्ष में मारे गये हैं; जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों में ओडिशा में 499, असम में 385, पश्चिम बंगाल में 358 लोगों की मौत हुई है। केरल में 486 लोगों की मौत हुई है तो महाराष्ट्र में 421 लोग मारे गये हैं। जिनमें से ज्यादातर मानव-वन्यजीव टकराव के चलते बाघों द्वारा मारे गये हैं। केन्द्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक हाथियों के साथ टकराव में ही 2853 लोग मारे गये हैं। इनमें से कम से कम 628 की मौत तो अकेले 2023 में हुई है-जिसका मतलब हैं दो मौते प्रतिदिन। मानव जीवन के इस नुकसान के साथ ही इस टकराव में हजारों करोड़ रूपये के पशुधन व फसलों की भी क्षति हुई है।

इस खतरे से निपटने के लिए केन्द्र सरकारों व अधिकतर राज्य सरकारों की भूमिका नाकाफी और मामूली मुआवजा देने तक ही सीमित रही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य वन संबंधित कानून राज्यों के खिलाफ झुके हुए हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस शासन ने संरक्षण कानूनों को केन्द्रीकृत किया था जिससे इन कानूनों में एक अधिनायकवादी पुट आ गया जो मौजुदा नरेन्द्र मोदीनीत भाजपा शासन में निरंकुशता के स्तर पर आ पहुंचा है। केरल की वाम जनवादी मोर्चा जैसी किसान हितैषी सरकार के हाथ, कृषि व जनता की प्रभावी हिफाजत करने में, इन कानूनों से बंधे हुए हैं।

केरल में लगभग 200 पंचायतों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोग लगातार जंगली जानवरों के हमलों का सामना कर रहे हैं। वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार, 39,000 से ज्यादा किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। हाथी, बाघ, जंगली सूअर, बंदर, पहाड़ी गिलहरी, हिरन व मोर जैसे जानवर रात-दिन खेतों में घुसे रहकर जो भी उगाया गया होता है, जैसे-केला, नारियल, सुपारी, धान, कंद-मूल वाली फसलों, सब्जियों आदि सभी को नष्ट कर देते हैं। इसके लिए यदि मुआवज़ा मिल पाता है तो वह नुकसान के मुकाबले एकदम नाकाफी होता है।

हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवरों की मुसीबत के खिलाफ व्यापक एकता बनाकर, खेती बचाओं संघर्ष समिति के नाम से लगातार कोशि-शें की गई है। वर्ष 2010-11 से लिए गये आंकड़ों के अनुसार 78,791 हेक्टेअर-कुल खेती योग्य जमीन की अनुमानित 12.6 प्रतिशत परती रह रही है। राज्य की 3,243 पंचायतों में से लगभग 71 प्रतिशत (2.301) पंचायतें वन्यजीवों की घुसपैठ से प्रभावित हैं, जिससे लगभग 80 प्रतिशत किसान परिवारों पर असर पडा है और अनुमानित 8,00,000 व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है। मोटे अनुमान के अनुसार 300 करोड़ रूपये से 450 करोड़ रूपये मूल्य की फसलों का नुकसान है जिसमें लगभग 75 से 100 करोड़ रूपये का नुकसान बागवानी में और 300 करोड़ का खेती में है। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों की घुसपैठ के कारण परती रह जाने वाली भूमि के कारण नुकसान 500 करोड़ रूपये से ज्यादा बैठता है। निगरानी से जुड़ी लागत नुकसान को और बढ़ाती है जो लगभग 1,200 करोड़ रूपये तक बैठता है क्योंकि अनुमानतः 5,00,000 से 6,00,000 लाख लोग प्रतिवर्ष 150 से 200 रूपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर इन गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर, अनुमानित वाषिक नुकसान 2,200 करोड़ रूपये की ब़ड़ी रकम का बैठता है।

पशु अर्थव्यवस्था पर हमला, आवारा पशुओं की मुसीबत और बढता नुकसान

हिन्दु फासीवादी तत्वों का उभार और 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही 'गौरक्षा' के नाम पर गौ-रक्षा समूहों द्वारा मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों पर हमले बढ़े हैं। हिन्दी पट्टी, 'पवित्र गाय' पर आधारित राजनीतिक का मुख्य केन्द्र बन गयी। पिछले 10 वर्षों मे हिन्दुत्वादी गौरक्षा समूहों ने पशुपालक किसानों, व्यापारियों, परिवहनकर्ताओं पर कितने ही हमले किये हैं तथा इनका इस्तेमाल चुनावी फायदा लेने के एक विशेष लक्ष्य के साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया है। इसके साथ ही, कई राज्यों में पशु व्यापार को प्रतिबंधित करने के प्रयास किये गये हैं। इसने परंपरागत पशु अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर पशुपालक किसानों के लिए भारी संकट पैदा किया है। गौरक्षा के नाम पर इस हिंसा ने, स्थानीय पशु बाजारों, पशु मेलों, लाइसेंसधारी बूचड़खानों, पशुचमड़े की चमड़ा उद्योग को होने वाली बिक्री और निर्यात के रास्ते को समाप्त कर दिया है। कृषि संकट का यह पहलू ही लोगों को अनुत्पादक पशुओं को छोड़ देने के लिए मज़बूर कर रहा है। बीसवीं पशुगणना, 2019 के अनुसार, भारत में आवारा पशुओं की संख्या 50 लाख से ज्यादा थी। राज्य प्रायोजित हिंसा के बढ़ने के साथ, इस संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई होगी। यह प्रमुखतः राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश में केन्द्रित है तथा गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ अध्ययनों में सामने आया है कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश की कृषि पट्टी में, आवारा पशुओं से 30 प्रतिशत से ज्यादा फसल बर्बाद हो रही है। कई मामलों में आवारा पशु किसानों

व अन्य लोगों पर हमला कर रहे हैं । संकट में घिरे किसानों द्वारा अनुत्पादक पशुओं को पालने पर किया जाने वाला भारी खर्च समस्याओं को और बढ़ा रहा है ।

मनमाने ढंग से हाथियों के गलियारों, बाघ अभ्यारण्यों को थोपना और भारी बेदखली

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "एलीफेंट कोरिडोर्स ऑफ इंडिया, 2023" के अनुसार, भारत में 150 एलीफेंट कोरिडोर्स हैं । गज रिपोर्ट 2010 से तुलना करने पर पता चलता है कि इस बीच 62 नये गलियारे बना दिये गये हैं । इस तरह के अनियमित तौर-तरीके व अवैज्ञानिक अनुमानों से मानव-वन्यजीव टकराव के मामलों में और वृद्धि होगी । रिपोर्ट में गांव-देहात के इलाकों व आवासों को गलियारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिससे किसानों के लिए भारी संकट पैदा हुआ है खासतौर पर सीमान्त व गरीब किसानों के लिए । देश के कई हिस्सों में, वन विभाग की नौकरशाही और विदेशी पैसे से चलने वाले संभ्रात संरक्षणवादी गैरसरकारी संगठन, किसानों को, जिनमें आदिवासी किसान शामिल हैं, उनकी खेती की ज़मीन से बेदखल करने के लिए अन्य निहित स्वार्थ साधने वालों से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं । वन अधिकार कानून की खिलाफत करने वाली तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतें भी परम्परागत वन निवासियों को बेदखल करने के द्वारा अपने वर्गीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं । दो दशक पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हाथियों द्वारा करोड़ों रूपये की फसलों व संपत्ति का नुकसान होता है । प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेअर से ज्यादा कृषि फसलें बर्बाद कर दी जाती हैं । इस रिपोर्ट में, प्रति परिवार औसतन एक से दो हेक्टेअर की ज़मीन को हिसाब में लेते हुए बताया गया है कि मानव-वन्यजीव टकराव से कम से कम 5 लाख परिवार प्रभावित होते हैं । आज लगभग 25 वर्ष के बाद प्रभावित क्षेत्र और परिवारों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है ।

जहां सभी प्रभावित क्षेत्रों में किसान गंभीर मुद्दों का सामना कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु के नीलगिरि जिलें में गुडालुर और पंडालुर तालुक के किसानों के लिए तो स्थिति करो या मरो वाली बनी हुई है । तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त एलीफेंट कॉरिडोर कमेटी ने जहां 42 गलियारों की पहचान की वहीं केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने केवल 20 गलियारों की पहचान की । इनमें से किसी भी पैनल में किसानों या मेहनतकश लोगों का कोई सार्थक प्रतिनिधित्व नहीं था । इनमें नौकरशाहों और इलीट संरक्षणवादी गैरसरकारी संगठनों के लोगों को भरा गया था । रिपोर्ट के मसविदे के अनुसार, गुडालुर क्षेत्र में तीन अतिरिक्त गलियारे हैं और यदि इसे लागू किया जाता है तो इससे 46 गांवों में 37,856 लोग प्रभावित होंगे । इससे, सड़क से गुजरने वाले वाहनों पर भी कड़ा नियंत्रण होगा । इससे प्रभावित होने वाले लोगों का प्रमुख हिस्सा किसानों और मज़दूरों का है जिनमें आदिवासी शामिल हैं ।

बाघ अभ्यारण्यों के नाम पर, शासक वर्ग ने आदिवासियों, अन्य परम्परागत वन निवासियों, गरीब व सीमान्त किसानों के विरूद्ध पूरा युद्ध छेड़ रखा है । सरकार के नियन्त्रण वाली नेशनल टाईगर कंजरवेशन अथारिटी (एनटीसीए), जो प्रोजेक्ट टाईगर को लागू करने वाला उच्चतम निकाय है, "सत्ता के मद में चूर" हो गई है । 'सत्ता के मद में चूर होने' के इस वाक्यांश का प्रयोग दिग्गज किसान नेता ए के गोपालन ने अमानवीय व असंवेदशील वन नीतियों के संदर्भ में किया था । तथ्य यह है कि एनटीसीए, टाईगर रिजर्व्स के भीतर आने वालें गांवों की उपस्थिति को नकारने, उनसे संबंधित जानकारी को तोड़ने-मरोड़ने के लिए कुख्यात रही है । "एतिहासिक अन्याय" को दुरूस्त करने के लिए बनाये गये वनाधिकार कानून के बावजूद एनटीसीए, वन संरक्षण के एक किलेबंदी वाले मॉडल को थोपे रखने में लगी हुई है । वन संरक्षण के इस आक्रामक रवैये से प्रेरित इस किलेवंदी वाले मॉडल का विश्वास, बाहर रखने और विस्थापन करने वाले संरक्षण में है । देश भर में टाईगर रिजर्व्स के भीतर 848 गांवों के 89,808 परिवारों की पहचान बेदखली के लिए की गयी है जिनमें अधिकतर आदिवासी व कृषि समुदायों के हैं । इनमें से 25,007 परिवारों को बेदखल किया जा चुका है । वनाधिकार कानून पर जुमलेबाज़ी करने के अलावा नरेन्द्र मोदीनीत भाजपा सरकार इस संदिग्ध प्रचार के लिए, कि "सहअस्तित्व असम्भव है" माकूल माहौल तैयार कर रही है । इसी के साथ, एकाधिकारी कारपोरेशनों को हमारे विशाल वन संसधनों को लूटने की खुली छूट दी गयी है । यह अकारण नहीं है कि एकेजी ने पूछा था, कि "आखिर वन संरक्षण किसके लिए है ?"

एनसीटीए की कार्रवाईयों के द्वारा यह जटिल आख्यान तैयार किया जा रहा है कि टाईगर रिजर्व्स के भीतर वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) लागू नहीं होता है । लोगों को दबाने के लिए वन नौकरशाही द्वारा हर तरह के दमन व उत्पीड़न का इस्तेमाल किया जा रहा है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कलमबद्ध किया गया है कि प्रोजेक्ट टाईगर को 'पूरा' करने के लिए शारीरिक हमलों, डराने-धमकाने, झूठी मुठभेड़ों के माध्यम से दिन दहाड़े हत्यायें, झूठे मुकदमें, पुरूषों, महिलाओं व बच्चों का यौनिक उत्पीड़न व दमन सभी का इस्तेमाल किया जाता है । वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) और वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन सोसायटी (डब्ल्यूसीएस) जैसी अंतर्रष्ट्रीय संरक्षण एजेंसियां, वनाधिकार कानून को बर्बाद करने तथा संरक्षण के किलेबंदी वाले मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर लगाने में अहम भूमिका अदा कर रही है । जनता के प्रति शून्य जवाबदेही रखने वाली ये दोनों ही एजेंसियां, दुनिया भर में वन नीतियों को तैयार कराने में भौंडा और गैर-जरूरी दखल रखती हैं । अपने अंतर्निहित नस्लवाद और भारत के वनों पर निर्भर लोगों के साथ हुए 'ऐतिहासिक अन्याय' से सरोकार न रखने वाली ये शाही कठपुतलियाँ अत्यंत गरीब भारतीयों के खिलाफ राज्य हिंसा भड़काने वाले एजेंट का काम करती हैं । समकालीन पत्रकारिता की खोजों ने इसका पर्दाफाश किया है कि किस प्रकार डब्लयू डब्ल्यू एफ भारत समेत तीसरी दुनिया के देशों में संरक्षण के

औजारों के रूप में "बंध्यकरण कार्यक्रमों" और "देखते ही गोली मारने" जैसे क्रूर तरीकों को लागू करने पर जोर देता रहा है। स्पेन में फ्रांकों जैसे फासीवादी की छवि को अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यावरण हितैषी व संरक्षणवादी के रूप में बढ़ावा देने में डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की भूमिका को भी कलमबद्ध किया गया है।

संरक्षण के अपने किलेबंदी वाले मॉडल के ट्रैक रिकार्ड के अनुरूप एनटीसीए ने 19 जून, 2024 को टाईगर वाले राज्यों को भेजे खत में कहा कि वे टाईगर रिजर्व्स में कोर एरिया के रूप में अधिसूचित इलाकों के 591 गांवों के 64801 परिवारों को अन्यत्र भेज दें। वन्यजीव संरक्षण कानून (डब्ल्यूएलपीए) 1972, की धारा 28 (5) 4 (1) को तोड़-मरोड़ कर एनटीसीए चालाकी से इस तथ्य को छिपा रही है कि वन्यजीव संरक्षण कानून में 2006 का संशोधन टाईगर संरक्षण के साथ आदिवासियों व वन निर्भर समुदायों की अजीविका की जरूरतो के संतुलन के महत्व को मान्यता देता है। स्थानीय लोगों की भलाई व अजीविका को सुनिश्चित करने के द्वारा कानून ने वनों व उनमें रहने वालों के जटिल संबंध को स्वीकारा है। कुल मिलाकर, देश का कानून ऐसी समावेशी टाईगर संरक्षण योजना तैयार करने के बारे में एकदम स्पष्ट है जिसमें न केवल बाघों का सरंक्षण होगा बल्कि वन में निवास करने वाले समुदायों की कृषि, आजीविका व विकास के हितों को भी प्राथमिकता मिलेगी। एनटीसीए की मंशा, आपराधिक रवैये के साथ कानून का उल्लंघन कर लोगों को विस्थापित करने और वन प्रवंधन का निगमीकरण करने की है। एनटीसीए उन तमाम तथ्यों को धता बता रही है जिनके अनुसार वनाधिकारों के सही व समुचित क्रियान्वयन का परिणाम एक स्वस्थ प्राकृतिक वन विकास के रूप में होता है। स्पष्ट रूप से विशाल कॉरपोरेटों के हितों को, लाखों गरीब किसानों, आदिवासियों, परंपरागत वननिवासियों व मज़दूरों की आजीविका पर तरजीह दी जा रही है। टिम्बर और बाहय प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए वन भूमि का व्यवसायिक प्लांटेशनों में व्यवस्थागत बदलाव के साथ-साथ वन्यजीवों को भोजन व चारा प्रदान करने वाले फलदार पेड़ों, बांस व अन्य किस्मों के रकबे में कमी भी आस-पास के मानव आवासों में वन्यजीवों की घुसपैठ का कारण है। वन विभाग व वर्गीकरण की गलत नीतियों ने यूकेलिल्पिट्स बबूल, सागवान, महोगनी, चीड़, अफ्रीकी ट्यूलिप जैसी किस्मों को बढ़ावा देने से समस्या और विकट हुई है। भूजल में गिरावट के अतिरिक्त मौजूदा जल निकायों की सुरक्षा नहीं की जा रही है। वन विभाग की आपराधिक लापरवाही, भोजन व पानी की तलाश में वन्य जीवों के वनों से बाहर आने के लिए जिम्मेदार है।

इस परिस्थिति के संदर्भ में, अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस) व अखिल भारतीय खेतमज़दूर यूनियन (एआइएडब्ल्यू) मांग करती हैं कि केन्द्र सरकार निम्मलिखित मांगों को युद्ध स्तर पर पूरा करे :

➡ वन्य जीवों के हमलों से मानव जीवन, संपत्ति व आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करो। जीवन व आजीविका की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाओ।

➡ यह सुनिश्चित किया जाये कि राज्य सरकारों को जंगली जानवरों की मुसीवत को नियन्त्रिण करने के लिए हिंसक पशु घोषित करने, बंध्यकरण व अन्य तरीकों समेत उन्हें वैज्ञानिक रूप से समाप्त करने, हटाने के अधिकार की गारन्टी हो।

➡ मनमाने तरीके से हाथियों के गलियारे, टाईगर रिजर्व्स, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने व बेदखली पर रोक लगाओ।

➡ वनाधिकारों व सामुदायिक वनाधिकारों को सुनिश्चित करो; एफआरए व पेसा के उलंघन पर रोक लगाओ।

➡ पशु व्यापार पर प्रतिबंध हटाओं; अनुत्पादक पशुओं की बाज़ार भाव पर खरीद करो। गौरक्षा समूहों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करो।

➡ जंगली जानवरों के हमलों में मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को 1 करोड रूपये क़ा मुआवजा व सरकारी रोजगार तथा गंभीर रूप से घायल को 50 लाख रूपये मुआवजा सुनिश्चित करो।

➡ जंगली जानवरों द्वारा बर्बाद की जाने वाली फसलों का पंचायतों व ग्राम सभाओं को शामिल कर समुचित आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाये।

➡ बनावटी टिम्बर पेड़ों व घुसपैठिया प्रजाति के पेड़ों को चरणबद्ध ढंग से हटाओं ; फलदार वृक्षों, बांस को बढ़ावा दो।

➡ हॉट-बेड्स में खाईयां बनाओ, तारों की बाड़ लगाओं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करो और पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करो।

➡ संध्या से सुर्योदय तक मनरेगा के तहत 1000 रूपये प्रतिदिन की दर से सामुदायिक पहरेदारी का बंदोबस्त करों। ■

पूर्वी राज्यों के एसकेएम नेतृत्व की बैठक

2025 में एकजुट मुद्दे आधारित संघर्ष को तेज करने के लिए मजदूर-किसान एकताको मज़बूत करने का आह्वान

अमल हलदार
(अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, किसान सभा)

संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्वी राज्यों के नेतृत्व की समन्वय बैठक 11, 12 दिसंबर को युवा केंद्र, कोलकाता में आयोजित हुई। इस बैठक मे, देश भर के किसानों से भूमि, वन, जल और खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ़ 'तिलका माझी' के जन्म दिवस को 'किसान भूमि अधिकार दिवस' के रूप में मनाने का आह्वान किया गया और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनि--यम 2013 को लागू करने तथा कॉर्पोरेट संचालित परियोजनाओं के लिए किसानों व आदिवासियों के उनकी भूमि से विस्थापित पर रोक लगाने की मांग की गई।

वर्तमान बिहार एवं झारखंड के प्रसिद्ध आदिवासी नेता और क्रांतिकारी तिलका मांझी ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1771 से 1785 में भूमि पर कब्जे और अपनी फांसी तक विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने आदिवासी समुदायों को ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उनके सहयोगी जमींदारों और रियासतों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ संगठित किया। यह विद्रोह, जिसे अक्सर भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला जन विद्रोह माना जाता है, ने बाद के आदिवासी विद्रोहों, जैसे 1855-1856 के संथाल हूल और अन्य स्थानीय प्रतिरोध आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की थी। उन्होंने जंगलों के विनाश और आदिवासी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे आदिवासियों द्वारा सार्वजनिक पवित्र संपत्ति के रूप में रखा गया था। अब, नव-उदारवादी दौर में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलीभगत करके कॉर्पोरेट ताकतें भारी मुनाफा कमाने के लिए जंगलों को बर्बाद कर रही हैं तथा आदिवासियों और वनवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित कर रही हैं।

एसकेएम एनसीसी सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों से आह्वान किया गया कि, इन संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए, इन इलाकों की अर्थव्यवस्था और वहां रहने वाले लोगों के जीवन के विकास के लिए ठोस मांगें उठाए, क्योंकि भाजपा एवं उसके सहयोगी द्वारा तर्क दिया जाता हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। किसान आंदोलन को उनके खोखले नारे 'सबका साथ सबका विकास' की असलियत उजागर करनी होगी और बताना होगा कि, उनका विकास मॉडल "कॉर्पोरेट विकास" के लिए है और एसकेएम "लोगों की आजीविका" की रक्षा के लिए खड़ा है तथा हमारी लड़ाई, भूमि, जंगल, पानी, कृषि प्रक्रियाओं, कृषि प्रसंस्करण व विपणन पर कॉर्पोरेट के नियंत्रण के खिलाफ है।

4 पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के 37 किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 159 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। स्वागत समिति के अध्यक्ष विप्लव मजूमदार ने स्वागत भाषण दिया और संयोजक कार्तिक पाल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। बैठक में एनसीसी सदस्य दर्शन पाल, हन्नान मौल्ला, रेवुला वेंकैया, शंकर घोष, आशिष मित्तल, डॉ. सुनीलम, अविक शाहा, गुरविंदर मेहमा, पी कृष्णप्रसाद, अशोक बैता, उमेश सिंह और अशोक प्रधान उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों ने किसानों की ऋणग्रस्तता और उससे जुड़ी व्यापक आत्महत्याओं के समाधान के लिए गारंटीकृत खरीद के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की कर्जा मुक्ति की मांग की। अन्य प्रमुख मुद्दों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 और वन अधिकार कानून 2006 का लागू न होना, झारखंड व ओडिशा में बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट संचालित खनन एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण विस्थापन, पिछले दो वर्षों से पश्चिम बंगाल में, मनरेगा के तहत कोई काम ना दिया जाना, मंडियों व खरीद का अभाव, बटाईदारों के अधिकारों से इनकार, सिंचाई की कमी, उच्च उर्वरक मूल्य निर्धारण एवं कालाबाजारी, बिजली का निजीकरण करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाना, बिहार में भूमिहीनों को जमीन देना व बंद्योपाध्याय समिति की सिफारिशों को लागू करना, उत्तर बंगाल में तटबंधों का कटाव तथा कृषि भूमि का नुकसान और मानव जीवन एवं फसलों पर आवारा पशु व जंगली जानवरों का गंभीर खतरा शामिल हैं।

बैठक में दो महीने के भीतर राज्य और जिला स्तर पर एसकेएम अधिवेशन आयोजित करने एवं 2025 में मुद्दा आधारित एकजुट संघर्ष को तेज करने के लिए मजदूर-किसान एकता को मजबूत करने के लिए ट्रेड यूनियनों एवं खेत मजदूर यूनियनों के साथ समन्वय करने का निर्णय लिया गया। एसकेएम लोगों की आजीविका के मुद्दों पर किसानों को लामबंद करने और कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कॉर्पोरेट पैठ से लड़ने के लिए सभी गांवों तक अपनी पहुंच बनाएगा। ■

26 नवंबर को पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में मजदूर-किसान संयुक्त विरोध प्रदर्शन को भारी समर्थन

उत्तर अंडमान द्वीप में किसान सभा द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटित करने की मांग पर रैली

लाल सलाम कॉमरेड बुद्धदेब भट्टाचार्य!
(1944–2024)
A I K S
अखिल भारतीय किसान सभा
36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (कैनिंग लेन)
नई दिल्ली - 110001
011 - 23782890 | kisansabha.org | @kisan_sabha